

consent under rule 222.....' I do not know whether he has given consent or not.

श्री शिव चन्द्र झा : उन की कंसेंट आ गई इस तरीके से मुझ को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि यह विशेषाधिकार की जो बात है यह एडीटर से पूछी जा रही है तो इस के क्या माने हैं ? इस का मतलब है कि यह ऐडमिट हो गया है लेकिन मुझे इसे उठाने की इजाजत नहीं दी गई ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will explain the procedure. Whenever a member raises this question, the Speaker, before doing anything, ascertains the position from the editor. I think this has been followed in every case.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA : No, Sir. In the past also it has happened, two or three privilege motions were brought, and the Members were allowed to stand up in their seats and say whatever they wanted to say, but in my case a communication has been sent to me saying that the matter has been accepted and the Editor has been asked to explain, and that later when his reply comes, it would be sent to me. This is strange. The House would not know what the issue was at all. When a privilege issue is brought up, it should be allowed to be raised here and the House should know what it is about. The House should also know that the matter has been sent to the Editor, and the reply when received, should be communicated to the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think that the matter will be brought up before the House when the reply is received.

श्री ओम प्रकाश त्यागो (मुरादाबाद) : मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वह इस बारे में स्टेटमेंट दे कि न्यूयार्क में वहाँ की सेनेट की उप-समिति में एक सेनेटर नेल्सन ने इस बात को कहा कि धमरोका की ड्रग कम्पनियों भारत पाकिस्तान

और दूसरी विकासोन्मुख देशों में अपनी हवाओं की कीमत 1.5 हजार से 5 हजार प्रतिघत तक वहाँ से अधिक लेती हैं ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : This was published in the *Times of India*. I think Members know about it. Kindly send a proper notice if you want to raise this question, not in this way.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, आप की मार्फत मैं इस्पात मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 20 तारीख को बोकारों में वहाँ के कर्मचारी और मजदूर हजारों की तादाद में अपनी मांगों के सम्बन्ध में टोकेन स्ट्राइक करने जा रहे हैं एक दिन का । वहाँ कर्टवटर प्रथा भी जागी है जिस के कारण उनको बहुत कष्ट है । अभी 20 तारीख में देर है । मैं चाहूँगा कि इस बीच में इस्पात मंत्री दखल दे कर वहाँ का मसला तय करवा दें ताकि वहाँ हड़ताल न हो और कारखाने के काम को आगे बढ़ाने में आसानी हो । मंत्री महोदय को इस का कोई न कोई हल निकलना ही चाहिये ।

14.13 hrs

MOTIONS RE: REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND THE COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—Contd.

श्री नागेस्वर द्विवेदी (मछली शहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत धन्यारी हूँ कि आप ने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि 23 वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद भी हरिजनों से सम्बद्ध सम-स्याओं का सन्तोषजनक समाधान नहीं हो सका । यह खेदजनक है और लज्जाजनक भी है । गाँधी जी ने अपने जिन रचनात्मक कार्यों को ले कर के स्वतन्त्रता की लड़ाई का संचालन

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

किया था उन में अस्पृश्यता निवारण और हरिजनों के उत्थान की समस्या एक प्रमुख स्थान रखती थी। लेकिन आजादी के बाद इस समस्या पर उतना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि आज असन्तोष की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, जिस के बारे में आज इस संसद्-भवन में हम अपने प्रतिनिधियों के भाषणों में सुन रहे हैं।

गांधी जी ने जिन रचनात्मक कार्यों को लिया था उन में स्वराज्य की बुनियाद थी। वह बार-बार जोर देते थे यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आजादी का कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन इन समस्याओं की तरफ भ्रमवश न तो जनता ने ध्यान दिया और न नेताओं ने ही उतना ध्यान दिया और न ही सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। इसी वजह से चाहे हरिजनों की समस्या हो, चाहे हिन्दू मुसलिम एकता की समस्या हो, चाहे शराबबन्दी की समस्या हो और चाहे राष्ट्र भाषा का प्रश्न हो, हर एक समस्या अपने विकट रूप में इस समय हमारे सामने आई है। हर एक समस्या के समाधान के मार्ग में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि अगर उन को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई तो एक समस्या देश के लिये सिर दद बन जायेगी।

आज हरिजनों में बढ़ा भारी असन्तोष पैदा हो रहा है। राजनीतिक स्तर पर सब को मतदान का अधिकार मिलेगा, संसद और विधान सभाओं में उन को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन बाकी जो आर्थिक क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र हैं उन में चाहे किसी के भी दोष से हो उन को उस तरह से स्थान नहीं मिल पा रहा है जिस से उन को उचित सन्तोष मिले और इस स्थिति का कोई समाधान-कारक रास्ता निकल सके। उपेक्षा की हालत यह है कि यहां पार्लियामेंट के मेम्बर या विधान

सभा के सदस्य चाहे कुछ अपना स्थान सम्मान कायम रखवा भी लें, अपनी बात अपना भी लें, लेकिन नीचे के स्तर पर उन लोगों की उपेक्षा सब जगह उसी तरह से हो रही है चाहे वह शहर में रहते हों या देहात में रहते हों। उनकी आर्थिक हालत बंसी की बंसी है। आर्थिक हालत की खराबी से उनकी शिक्षा सम्बन्धी स्थिति भी उसी तरह खराब है। उस में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हो पाया है। जो भी सुधार हुआ है वह सारी समस्या के अनुपात की दृष्टि से कोई बहुत सुन्तोषजनक नहीं है। इस लिये इस बात की प्रावश्यकता है कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाया जाये।

कुछ सदस्यों ने मांग की है कि सेना में भी उन को स्थान दिया जाये। यह मांग अपनी जगह पद बहुत उचित लगती है, लेकिन हम उस परिपाटी का पालन करते आ रहे हैं जिस को अंग्रेजों ने चला रक्खा था। अंग्रेज सरकार ने अपने शासन को चलाने के लिए फौज में उन लोगों को किया भरती जिन्होंने देश में उनकी तरफदारी की थी। जो उनके कहने में नहीं चले जिन्होंने विद्रोह किया उन जातियों को, उन वर्गों को उन्होंने दूर रक्खा। परिणाम यह हुआ कि आज भी उसी पद्धति को अपनाये हम चले आ रहे हैं। फल-स्वरूप आज जो अनुसूचित जाति के नाम से पुकारे जाते हैं, जो बड़े लड़ाकू थे और हमेशा लड़ाई में आगे रहते थे प्राचीन काल में, उन की इस समय बड़ी भारी उपेक्षा हो रही है। आखिर उन्हें वही स्थान अब क्यों न दिया जाये ?

साथ ही साथ फौज में जो जातियों के नाम पर रेजिमेंट कायम रखी गई हैं उन को भी आज क्यों कायम रक्खा जाये ? जो लोग लड़ने वाले हैं, बहादुर हैं, वह किसी खास जाति की बपोती नहीं हैं। किसी खास जाति में ही लड़ाकू पैदा होते हैं और किसी खास जाति में लड़ाकू पैदा नहीं होते हैं इस बात को

मान्यता न पहले थी और न आज होनी चाहिए। लेकिन जो परिपाटी अंग्रेजों ने रख दी है उसी को हम आज भी कायम रखें इस को किसी तरह से उचित नहीं माना जा सकता।

अनुसूचित जातियों में जिन जातियों को गिना जाता है उन में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जिन का हमारे धर्म शास्त्रों में, स्मृतियों और पुराणों तक में कोई नाम नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। आज उन को शुद्धों की श्रेणी में मानी जाती है। उन में से कई जातियां ऐसी हैं जिन के साथ छोटे वर्णों जैसा व्यवहार होता है। इस देश में दोनों तरफ गलतफहमी पैदा हो गई है, जो अपने को ऊंचे मानते हैं उन में भी और जो उन के द्वारा पीड़ित नीचे कहे जाते हैं उन में भी दोनों में जो गलतफहमी पैदा हो गई है। उस को दूर करने के लिए मैं चाहूंगा कि सरकार कोई अनुसंधान उस पर करवाये। जो शास्त्र है, जो प्राचीन ग्रंथ है उन की शोध कराई जाये यह जातियां पैदा कैसे हुई हैं, उन का आविर्भाव यहां से हुआ है। हम ने जो कुछ पढ़ा, देखा और समझा है, उस के मुताबिक हम ऊंची नीची जातियों का कोई उल्लेख पुराने ग्रंथों में नहीं पाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूँ कि जो हमारे शोधकर्ता है वह अनुसंधान करके बतलायें कि भगी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, भंगी शब्द कहां से आया और इस शब्द का प्रचलन कहां से हुआ। मुसलिम पीरियड तक इस का कहीं उल्लेख नहीं है, इस जाति का नाम कहीं नहीं है। अगर हमारे यहां इस तरह की कोई जाति नहीं थी, इस तरह की कोई बानें नहीं थी तो यह शब्द कहां से आया? इसी तरह से जो दूसरी जातियां बनीं उनका कब आविर्भाव हुआ, किस आधार पर हुआ, किन कारणों से हुआ, इसके बारे में भी शोध कार्य सरकारी स्तर पर होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस सब की

खोब वैज्ञानिक तथा साहित्यिक दोनों ही दृष्टियों से, दोनों ही ढंगों से की जाए और जो सत्य है उसको सामने ला कर रखा जाना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो मैं समझता हूँ कि जो गलतफहमियां पैदा हो गई है वे बहुत हद तक दूर हो जाएगी। साथ ही जो भेदभाव पैदा हुए हैं, जो मनमुटाव पैदा हुआ है, दोष जो घ्रा गए हैं, वे भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे, उनका भी बहुत कुछ निराकरण हो जाएगा।

एक समस्या जो कि आर्थिक है, वह भी पैदा हो गई है। पुरानी और आज की परिस्थितियों में एक और भी बड़ा अन्तर हो गया है। ऊंची जाति के कहे जाने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सामान्यतया अच्छी है बनिस्बत उनकी स्थिति के जो कि अनुसूचित जातियों के कहे जाते हैं। पुरानी वर्णक्रम व्यवस्था को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ण वाले लोगों के लिए एक स्रोत सीमित रहता था। वे दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते थे। जो पुरानी जाति व्यवस्था थी उस में उस समय शासक व्यवस्था दिया करते थे कि कौन वर्ग कौन वर्ण किस क्षेत्र में जाए। गुण दोषों को देख कर प्राचीन काल में इस तरह की व्यवस्था दी जाती थी। आज वह बात नहीं है। कोई व्यवस्था देने वाला नहीं है। समाज अपने ही आप और अपने ही ढंग से काम कर रहा है। सब मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। जिस के मन में जो आ रहा है वह उस तरह से ही काम कर रहा है और इस कारण से एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण से कई चीजें ऐसी हैं जो सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल पा रही हैं। ऐसी हालत में एक नई पद्धति क्या अपनाई जाए, समाज का संचालन किस रूप में एक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है और उसकी रूपरेखा क्या हो, इस पर भी अनुसंधान होना चाहिये।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

एक वर्ण या एक जाति के लोग आज एक बंधा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन की इच्छा होते हुए भी, जो चाहते हुए भी, कोई बंधा नहीं पा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जिन के पास पैसा है, वे शिक्षित भी हो गये हैं उनके पास जमीन भी आ गई है, अच्छी अच्छी नौकरियां भी उनको मिल गई हैं और व्यापार आदि भी वे करने लग गए हैं। दूसरे वे लोग हैं जिन के पास सब कुछ होते हुए भी पैसे के अभाव में वे शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनके पास जमीन भी नहीं होती है, उनको कोई बंधा भी नहीं मिल पाता है। सरकार को इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि हर परिवार को कोई न कोई बंधा करने के लिए मिले और ऐसा बंधा उसको मिले जो उसकी योग्यता, उसके काम की शक्ति को देखते हुए उसके उपयुक्त हो। उसके लिए साथ ही साथ किसी दूसरे बंधे की भी व्यवस्था की जाए। एक परिवार तो बढ़ता चला जाए, फलता फूलता चला जाए और दूसरा परिवार मायापत्नी करता रहे और येन केन प्रकारेण पढ़ लिख भी उस में से कोई ले तो उसको नौकरी भी न मिले, रोजगार भी न मिले तो उसका दुष्परिणाम एक असन्तोष के रूप में हमारे सामने प्रकट होगा और वह असन्तोष एक भयंकर रूप फूट पड़ेगा, जिसको दबाना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर फौज या पुलिस के बल पर भी काबू नहीं पाया जा सकेगा, उसको दबाया नहीं जा सकेगा। आज परिस्थिति इस रूप में हमारे सामने आ कर खड़ी हो गई है कि जो गरीब हैं वह शिक्षित भी नहीं हो पाता है और अगर किसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर भी लेता है तो अगर वह किसी बड़ी ऊंची नौकरी पर नहीं है तो उसकी कोई पूछ नहीं है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि गरीब आदमी जो सच्चाई के साथ काम करना चाहता है,

ईमानदारी के साथ रोजी रोटी कमाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उसको कोई बंधा नहीं मिलता है और इस कारण वह परेशान रहता है बल्कि पुलिस की भी उस के ऊपर कुदृष्टि होती है, न्यायालय से भी पैसा न होने के कारण उसको न्याय नहीं मिल पाया है और पैसा न होने के कारण वह दरखास्त भी नहीं दे पाता है। अगर थोड़ा बहुत पैसा हुआ और दरखास्त दे दी तो बकील को अगर वह पैसा नहीं दे पाता है तो उसके केस की परवी करने वाला कोई नहीं होता है।

आधिक स्थिति जैसी अनुसूचित जातियों की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है लेकिन मूसहर जाति के लोगों की तरफ में सरकार का खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनकी हालत बद से बदतर होती चली आ रही है। उनके पास कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं। वे कुछ दिन तक किसी की जमीन में किसी के पेड़ के नीचे टूटी फूटी झोंपड़ी डाल लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उसको हटा कर दूसरे के पेड़ के नीचे अपनी झोंपड़ी डाल लेते हैं। उनका कोई भी प्रतिनिधि न पालियामेंट और न ही किसी प्रसिम्बली में है। उनके दुख-दर्द को पूछने वाला कोई नहीं है। वे पुराने आदिवासी हैं। यह जाति ऐसी है कि भयंकर परेशानियों के बावजूद भी इन में से कोई भील नहीं मांगता है। ये लोग आज भी जूड़ी पतलें उठा कर पुराने ढंग से अपना पेट पालते हैं। उनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भाग में ये बड़ी भारी तादाद में गांव गांव में फैले हुए हैं। उनकी दर्दशा बयान नहीं की जा सकती है। उनकी हालत को सुधारने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने कई कई बार उनके बारे में कहा है और लिखा भी है। उनको न तो अनुसूचित जातियों में शामिल

किया गया है और न ही बनवासियों या आदिवासियों में उनको घुमार किया गया है और कारण यह है कि वे जंगली क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। उनकी हालत को तरफ में आपका खास ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

भूमि देने का आन्दोलन सरकार की तरफ से भी चलाया जा रहा है। पाटियां भी इसके लिए आन्दोलन कर रही हैं कि भूमिहीनों को खेती करने के लिए भूमि दी जाए। अगर भूमि नहीं दी जाती है तो कम से कम इतना प्रबन्ध तो कर ही दिया जाना चाहिये की अनुसूचित जातियों में से जिन लोगों के पास अपना मकान बनाने तक के लिए जमीन नहीं है, उनको अपना मकान बनाने के लिए जमीन तो दे दी जाए। साथ ही अपने जानवरों के लिए चारे का प्रबन्ध करने के लिए तथा अपने लिए कुछ साग सब्जी पैदा करने के लिए कुछ जमीन तो उनको मिलनी ही चाहिये और बिना कीमत के मिलनी चाहिये। साथ ही जहां तक हो सके उसी गांव में मिलनी चाहिये जहां वे रह रहे हैं। हो सके तो उसी जगह पर उनको जमीन मिलनी चाहिये। अगर मकान के लिए, साग सब्जी के लिए जमीन दे दी गई उनको और कोई न कोई धंधा उनको दे दिया गया जिससे वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकें तो मैं समझता हूँ कि और चीजें जो हैं उनको बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता है।

अन्त में मैं फिर कहूंगा कि सरकारी तौर पर शोध करवाया जाए कि जाति प्रथा और यह ऊंच नीच की भावना कब से आई और किस परिस्थितियों में आई। इस भावना को मिटाने के लिए, इस बीमारी को मिटाने के लिए मैं यह भी चाहता हूँ कि समुचित उपाय हों और इसके लिए कोई तिथि निर्धारित कर दी जाए। आने कानून तो बना दिया है कि सुआख्त जो बरतेगा उसको दंडित किया जाएगा। कानून अपनी जगह पर है। लेकिन

उसके बावजूद भी यह बुराई दूर नहीं हुई है। यह कैसे दूर हो इस पर आज गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि इसको दूर करने के लिए शीघ्रता से पग उठाए जाएंगे।

मैं यह भी चाहता हूँ कि इन लोगों को फौज में अच्छी सख्या में भरती का मौका मिलना चाहिये और इनको अपना शौर्य और पराक्रम दिखलाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने के लिए अवसर दिया।

श्री एन० ई० होरो (खुंटी) : शंइयूल्ड कास्ट और शंइयूल्ड ट्राइब्स कल्याण से सम्बन्धित प्रतिवेदनो की हम चर्चा कर रहे हैं। इन लोगों के उत्थान की मांग सभी ओर से की जा रही है। ये कौन लोग हैं? ये हिन्दुस्तान के मूल निवासियों में से हैं। भारत के प्राचीन भद्र लोग ये घ्रादवासी अभी भी अपनी सस्कृति को अपनाए हुए हैं। आर्यों ने जब इस देश में प्रवेश किया, तबउनके साथ इनका संघर्ष हुआ और काक चक्र के प्रभाव में इनकी हालत खराब हुई। उस संघर्ष के बाद जो एक समाज आया, जो व्यवस्था आई, वह आर्य हिन्दुओं की थी। जिन लोगों ने आर्यों की दासता स्वीकार कर ली वे हरिजन कहलाए। उनकी अवस्था आज भी वंसी ही है जैसी हजारों बरसों पहले थी या आर्यों के आने के पहले थी। जिन्होंने आर्यों की दासता स्वीकार न की और जंगलों पहाड़ों में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की, ये ही आदिवासी हैं। यह तो उस जमाने की बात हुई। लेकिन हम को आजाद हुए 23 साल हो गए हैं, उसके बाद से भी आज हम यहाँ जो उनकी दयनीय दशा की चर्चा कर रहे हैं, यह इस बात का सबूत है कि आज भी इनकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी इनकी वही अवस्था है जो पहले थी। यह इस बात को दर्शाता है कि 22

[श्री एन० ई० होरो]

साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर शासन किया और उसके द्वारा बने प्रशासन यंत्र ने कभी भी दिल से आदिवासियों एवं हरिजनों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाई और हृदय से उनकी उन्नति और उत्थान के लिए काम नहीं किया। अवश्य ही संविधान में इनके लिए कुछ सुविधायें रखी गई हैं। और भी सुविधायें देने की बात की जा रही है। कमिशन की रिपोर्ट्स में भी बहुत अच्छी अच्छी सिफारिशें हैं।

मगर इन सिफारिशों के बावजूद इस देश में हरिजनों और आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक अवस्था बहुत खराब है। इस से यह साबित होता है कि सरकार ने इन सिफारिशों को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है, ये सिफारिशें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार के प्रशासन-तंत्र में हरिजनों और आदिवासियों के प्रति कोई बेदना, कोई सहानुभूति नहीं है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उसमें अधिकतर लोग आदिवासा है। जैसाकि आप जानते हैं, आज जमीन की समस्या ने सबके मनो को विचलित और आन्दोलित कर दिया है। उसने लोगों के मनो में एक क्रान्ति सी ला दी है। हरिजनों और आदिवासियों को आर्थिक व्यवस्था जमीन पर आधारित है। उनकी उस जमीन को न केवल महाजन और दूसरे बड़े लोग, जिन के पास अधिक ताकत है, हड़प लेते हैं, बल्कि सरकार भी उनकी जमीन को ले लेती है— वह सरकार, जिसका यह धर्म और कर्तव्य है, तथा बचनबद्ध है कि आदिवासियों और हरिजनों की जो जमीन गैर कानूनी ढंग से हस्तान्तरित हो गई है, उसको वापस दिलाया जायेगा, वह सरकार भी अपने कुछ कामों के

लिए इन गरीब और कमजोर लोगों की जमीन को ही बिना उचित मुआवजा दिये छीन लेती है।

जितना भी अरबनाइजेशन होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट्स बनाई जाती हैं, उन के लिए सरकार अक्सर ऐसे लोगों की जमीन ही पसन्द और अर्जित करती है जो कमजोर और गरीब हैं। रांची शहर के दस मील के रेडियस में जो सबसे अच्छी पैंडी लैंड थी, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी उसको अर्जित कर सरकार ने हैबी इंजीनियरिंग कारखाना बनाया। पूर्वी या पश्चिमी पारिस्थान से जो शरणार्थी वहाँ की सरकार के अत्याचार और उत्पीड़न से तबाह होकर या इस देश में अधिक अच्छा जीवन व्यतीत करने व भाग्य बनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं, सरकार उनको रुपया-पैसा और मकान आदि देकर दिल्ली के आस पास और दूसरे स्थानों में बसाने का इंतजाम करती है। लेकिन पब्लिक ग्रैंडरटेकिंग के स्थापित किए जाने से जो लोग अपरूटिडा (uprooted) या विस्थापित हो जाते हैं, उन को बसाने की सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

सरकार ने अपने बहुत से अफसरों को इस बात का अध्ययन करने के लिए दूसरे देशों में भेजा कि वहाँ पर विस्थापितों को कैसे बसाया जाता है। उसने इस पर लाखों रुपये खर्च किए होंगे। मैंने पर्सनली देखा है कि पश्चिमी जर्मन सरकार ने लड़ाई के बाद पूर्वी जर्मनी से आए हुए शरणार्थियों को किम तरह बसाया। आज मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जो आदिवासी और गैर-आदिवासी लोग रांची में हैबी इंजीनियरिंग कारखाना बनाये जाने से विस्थापित हो गए, उनको सरकार ने कैसे बसाया है। उनके साथ यह किया गया था कि उनको जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सरकार ने उन लोगों को कुछ रुपया दिया, लेकिन उसने इन तरह ध्यान

नहीं दिया कि वे लोग उस रुपये से किस तरह अपनी जिन्दगी बसर करेंगे। सरकार जानती है और पूरा देश जानता है—कि आदिवासी और हरिजन खेती से सम्बन्धित हैं। और उनको किसी अन्य व्यवसाय या तिजारत का इल्म नहीं है। इस स्थिति में सरकार के लिए यह उचित था कि वह उन लोगों को बसाने के लिए कोई व्यवसाय या इल्म सिखाने का इतजाम करे। यह सरकार की जवाबदेही थी और है।

इसलिए सरकार एक कानून के जरिये यह पाबन्दी लगा दे कि आईन्दा किसी पब्लिक सैक्टर या प्राईवेट सैक्टर के प्राजेक्ट के लिए कोई जमीन अर्जित करने के परिणामस्वरूप जो लोग विस्थापित होंगे, जबतक उनको पूरी तरह से बसाने, उनके लिए जमीन, मकान, शिक्षा और व्यवसाय आदि का पूरा इन्तजाम नहीं कर लिया जायेगा, तब तक उनकी जमीन अर्जित नहीं की जायेगी। सरकार ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों के कल्याण के नाम में गत तेईस सालों में सरकार ने जितना रुपया बबदि किया, जितनी मेहनत की और जितना समय दिया, अगर वह उसका पच्चीस परसेंट भी इमानदारी के साथ खर्च करती, तो आज हमारे देश का चेहरा बदल गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मुझे लगता है कि आज भी यह सरकार इमानदार नहीं है। वह तीन चार रिपोर्टों को एक साथ सदन में ले आई है। जब सदन के सदस्यों ने आवाज उठाई, तो इस चर्चा के लिए बीस घंटे का समय दिया गया है। यह बहुत स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि यह सरकार इमानदार नहीं है। सरकार इतने महत्वपूर्ण विषय को डिसकस करने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं देना चाहती थी।

मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस आदिवासी क्षेत्र से मैं आता हूँ,

वहाँ की अवस्था बहुत एक्सप्लेसिव है। जिस लैंड ग्रैब मूवमेंट के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि उसकी बुनियाद में, उसके मूल में, क्या कारण है? इस सदन में हर तरफ के सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं, सरकार गहराई से उन पर गौर करे। मैं लैंड ग्रैब मूवमेंट का हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें इस लिए हो रही हैं कि जो सरकार का धर्म, कर्तव्य और जवाब देहिव्व है, उस को सरकार ने नहीं निभाया है।

बिहार में राष्ट्रपति शासन जब था तब सदन में आदिवासियों की जमीन वापिस दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा चली थी।

एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार आदिवासियों की जो जमीन गैर कानूनी ढंग से हस्तान्तरित कर दी गई है, वह उनको वापिस दिलाई जाएगी। बिहार राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इस उतरदायित्व से बच नहीं सकती है। क्या सरकार यह बता सकती है कि कानून में संशोधन के बाद कितने केस सरकार के पास आए, जिनका उसने सैटलमेंट किया? वह नहीं बता सकती है। हमने इस बारे में घान्दोलन करना चाहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर यह काम शान्ति से हो जाए, तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज देश खतरे में है। वह आदिवासी, वह हरिजन जिनकी आप उपेक्षा करते घा रहे हैं, इतना तो समझते हैं कि अगर हमारे देश में अमन और चैन नहीं रहेगा तो उन्नति नहीं होगी। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं है। अगर आज यहाँ हमारे देश में भ्रंभट हो जाए तो वह दूसरे देश में जाकर बस जायेंगे। लेकिन यहाँ जो छोटे लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं उनको तो कोई दूसरा चारा नहीं है। वह चाहते हैं कि शान्ति और धमन से अपना काम काम करें। तो सरकार से हम यह कहना चाहते हैं कि धाज

[श्री एन० ई० होरो]

भी समय रहते हुए आप इनकी प्रगति एवं विकास के लिए मौलिक परिवर्तन लायें और ईमानदारी से जो अधिकार इनके हैं, आप दें और उसको इम्प्लीमेंट करें। चाहे वे नीचे तबके के लोग हों, आदिवासी हों, हरिजन हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, तब आप इस देश में समाजवाद ला सकते हैं और डेमोक्रेसी की रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो डेमोक्रेसी और समाजवाद की रक्षा करना आपके बूते की बात नहीं है। यह जिस ढंग से क्रान्ति चल रही है यह सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे कहा जाता था कि कांग्रेसों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता है इसी प्रकार कांग्रेस डलने भी सोचा था कि हमारे राज में भी कभी सूरज नहीं डूबेगा। लेकिन क्या हुआ? आज बहुत सारे राज्यों से आपकी कांग्रेस सरकार गई और प्राज देश में राजनैतिक अस्थिरता है। इसकी गहराई में अगर आप जायेंगे तो मासूम हांगा कि नीचे तबके के लोग अब ऊपर धाने की कोशिश कर रहे हैं। वह समय आया चाहे आप चाहें या न चाहें, व्हेदर यू लाइक इट आर नाट, जब पिछड़ी जाति के लोग, जो हरिजन और आदिवासी हैं, वह इस देश की सरकार की बागडोर सम्भालने वाले हैं। आप चाहें या न चाहें यह क्रान्ति आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इन प्रतिवेदनों में कई सिफारिशें अच्छी हैं। मैं चाहूंगा कि इन सिफारिशों पर अच्छे ढंग से धमल हो। फिलहाल इन को न तो राज्य की सरकारें कर रही हैं, न केन्द्र की सरकार कर रही है। केन्द्र की सरकार पर भी बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में मैं कह रहा था कि संविधान में राज्यपाल को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन कोई राज्यपाल आदिवासियों के सम्बन्ध में कोई विशेष या मौलिक बिन्ता नहीं करता

है। आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। आदिवासियों के कल्याण का कोई ठोस काम नहीं हुआ है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि लिग्निस्टिक माइनरिटीज की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। हमारे आदिवासियों की अपनी भाषा है। जब यहाँ संस्कृत नहीं थी इस देश में आदिवासियों की अपनी भाषा थी और है। इनकी अपनी सम्प्रदाय थी। मातृभाषा प्रारम्भिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में आदेश है कि प्रादिवासियों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन डाइरेक्टर आफ लिग्निस्टिक माइनरिटीज की रिपोर्ट आप देख लें। बंगाल, बिहार, व उड़ीसा में जहाँ कि आदिवासियों की संख्या ज्यादा है यहाँ इन तीन राज्यों से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसी सूरत में मध्य प्रदेश की भी है। इनके आँकड़ों की सूची आप देखें तो उसमें बिल्कुल ब्लैक पायेंगे। क्यों? इस लिए कि वहाँ की सरकारें, वहाँ का प्रशासन और उसमें जो लोग हैं जो इन सरकारों की पालिसी को चलाते हैं वे इसको नहीं चाहते हैं। इनकी ऐसी मशीनरी बनी है जो बिल्कुल अनसिम्पैटिक हैं। तो मैं पूछता हूँ कि इसकी क्या दवाई है? सरकार के कर्तव्य हैं जनहित के कार्य करने के। मगर जिन अफसरों के जरिए, जिस प्रशासन व्यवस्था, जिस मशीनरी के जरिए वे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं जब आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो क्या दवा है इस की? इसको तो सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आज देश में जहाँ बायलेंस की बात होती है, हर क्षेत्र में विद्रोह होगा और प्रव्यवस्था होगी। हरिजन और आदिवासी तथा पिछड़ी जाति के लोग इस देश में जब शक्ति हाथ में लेंगे तो उन्हीं के आगे आपको झुकना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी के लोगों से आप आदिवासी और हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं। क्या आप अपनी कैबिनेट में ऐसे लोगों का अधिक संख्या में जगह देंगे? क्या

आप तैयार हैं इसके लिए ? अगर हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं और दुनियाँ को यह दिखाना चाहते हैं तो आदिवासी या हरिजन में से किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दें। मगर आपसे यह होगा नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता साउथ अफ्रीका की रंगभेद की नीति की अलोचना करते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ आप ने उसे एक कालोनी बना कर रखी है। इसीलिए भारखंड तथा उससे सटे बंगाल उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जहाँ कि आदिवासी हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियाँ ज्यादा संख्या में हैं, यह कहना चाहते हैं कि वहाँ एक अलग राज्य हो, एक अलग भारखंड राज्य का निर्माण हो। इस की चर्चा 30 साल से हो रहा है। मैं इस सदन में इस को दोहराना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अलग भारखंड राज्य नहीं बनाएंगे तब तक वहाँ के लोगों की उन्नति नहीं होगी। क्योंकि हम ने 22 साल तक देखा है न तो राज्य की सरकार उन के साथ सहानुभूति रखती है न केन्द्र की सरकार भीषण शोषण का एक सिलसिला चल रहा है। आज वहाँ एक कालोनी वसी हुई है। आप यह कहेंगे कि यह तो एक दस्तूर हो गया है कि हर एक कौने से अलग राज्य की दरखास्त आती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप लिबरलिस्टिक स्टेट बनाते हैं, छोटे छोटे स्टेट बनाते हैं, क्या जस्टिफिकेशन उस का है ? जहाँ पर कि आर्थिक, ऐतिहासिक और हर प्रकार से अलग राज्य बनाने का जस्टिफिकेशन है, वहाँ के लिए उस तथ्य को तो आप शहज से भूल जाते हैं और छोटे छोटे क्षेत्रों को ले कर आप अलग राज्य बनाते चले जाते हैं। तो इसके नाने यह है कि आप की नीति पक्षपातपूर्ण है ? इसके मानी यही है कि आप हमारा शोषण करना चाहते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रकृतिक धन एवं मिनरल्स हैं। डिफेंस के लिए और

इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वहाँ सामग्री उपलब्ध है। वहीं से सब चीजें आएंगी, इसलिए हमारे राजनेतिक एवं आर्थिक प्रकाशाओं को दब कर आप शोषण करते रहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वह एरिया एक्सप्लोसिव है। अगर आप ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उस क्षेत्र की बात नहीं सोची तो आप को धोखा होगा। आप को मालूम होना चाहिए कि अगर वहाँ के लोग जो बहुते आन्दोलित हैं उन को शोषण से आप नहीं बचाएंगे और शोषण वहाँ की जनता तब तक बच नहीं सकती जब तक वहाँ के लोगों के लिए आप अलग भारखंड राज्य का निर्माण नहीं करेंगे। बगैर इसके उन की उन्नति होगी नहीं और मैं इसमें संदेह नहीं करता कि पूरे हिन्दुस्तान की आर्थिक प्रगति, इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिक प्रगति रुक जायगी। आप को बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर आप यह सोचते हैं कि वहाँ के लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं तो यह आप की गलती होगी। मैं पूछता हूँ कि क्या यह हिन्दुस्तान की सरकार को शोभा देता है कि जहाँ आप साउथ अफ्रीका की रंग भेद की नीति की निन्दा करते हैं वहाँ आप भारखंड वासियों के प्रति कोअसिव नीति अपनाते हैं, यय डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है ?

आज हमारी सरकारों के सामने चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चूँकि बहुत से राज्यों में भी इनकी पार्टियों की ही सरकार है, मैं चाहूँगा कि आप आदिवासियों एवं हरिजनों के सम्पूर्ण उत्थान की समस्याओं पर गौर फरमायें और जो समय आपको मिला है, उन्में इस काम को पूरा करें। सरकार में बैठने का जो बहुमूल्य समय आपको मिला है, आप यह समझकर काम करें कि आपकी इतनी ही जिन्दगी है, एक या दो रोज की। अगर आप यह समझें कि आपकी एक रोज की जिन्दगी है और मरने से पहले हम सारा काम कर लें, इस अर्जेंसी के साथ आप काम करेंगे तो आप इस

देश के लोगों की उन्नति कर सकेंगे। आप इसको भूल न जायें उन लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं जो भारत की आबादी के 90 फीसदी हैं, जो नीचे तबके के हैं, जिनको उठाना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इस देश में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सारे वायलेंट डिमांड्रेण्ड्स जो हो रहे हैं, लैंड ग्रैंड या हाऊस प्रेब हूकेंगे नहीं। मैं ने जो बातें कही हैं, आशा है कि हमारी सरकार के नेता उस पर गौर फरमायें और सिर्फ आर्इबाश करने के लिए नहीं बल्कि ठोस काम करने के लिए कदम बढ़ायें। जब आप यह काम करेंगे तो हम क्या सारी जनता आपके पीछे रहेगी।

SHRI DINKAR DESAI (Kanara) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, this problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people is a very vast problem and I would like to confine myself to deal with only two very important aspects of this question, namely, education first, and then the land problem. These two, to my mind, are the most important aspects of the problem affecting these unfortunate people.

Sir, even the commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in his latest Report admits the fact that very little progress has been made with regard to these people. I would like to read out the quotation. He says :

“The key to the upliftment of all backward classes lies in the field of education. In spite of the advance made during the last 17 years it must however be confessed that the progress registered is too small in comparison with what should or could have been done.”

This is a clear indication of not only failure, but of condemnation of the educational policy of the Government of India and the State Governments. He himself clearly admits that very little progress has been made with regard to these people compared to the general progress all over the country. This quotation clearly shows that these people, scheduled castes and tribes have been discriminated by the Governments both at the Centre and at

State levels in the field of education. And, all this has happened because the Government has not tried to solve the problem in an honest way. Unless Government takes greater care and tries to solve the problem in an honest way, this problem of education of these people can never be solved.

Sir, the ordinary schools and the ordinary schools facilities do not help these poor people very much, because I have seen this with my own eyes in my own constituency. The Harijans who are living there are not only poor, but they are hungry. Poverty is not the problem with regard to these people; the question is of hunger. They don't get even one full meal a day and that is the reason why they can't afford to send their children to schools. Unless you give those children at least one full mid day meal a day they cannot afford to send their children to school. After three five year plans, and three one year plan and the fourth plan is now running, we find that the condition of these unfortunate people has not improved at all in my district.

So, I would suggest, if you are to be really honest and sincere to give education to these people, you must give them a full midday meal, because, that is an inducement to these people to send their children to schools. They prefer to keep their children at home because they do some little odd jobs for them—they go out to collect the cattle dung and that becomes an earning for them, whereas if they send these children to school, they cannot get that earning. Everybody will be starving. This I have seen in my own constituency. Therefore, you must give them mid-day meal to solve this problem. It is no use starting a school and asking these people to send their children to school.

In the report it is stated that some States are giving midday meals. For instance, Tamil Nadu and Kerala. It is stated in the Report that only 6 paise was sanctioned per mid-day meal in Tamil Nadu. In Kerala, it is 5 paise. This is in the Report itself. It is not from my imagination. It is impossible to give a meal with 5 paise or 6 paise. I do not know what kind of meal you can have in these days of high prices, for 5 paise and 6 paise. This is again a dishonest way of doing things. If we

say that we are providing mid-day meals at five or six paise per child, the world will simply laugh at us. And yet, these facts are mentioned in our reports.

My second suggestion would be that besides mid-day meals, we must give these children clothing also, because they are naked. I have seen in my own constituency that they have not even got a shirt to wear. So, how could they go to schools? It is impossible. So, we shall have to give them clothing also. Then, we must give them books, stationery, slates etc. Then only it can be called free education. Free education does not mean only that we do not charge fees. That is not free education with regard to these poor people. But has the Government done this during the last 23 years? Nothing has been done in that regard.

श्री रामसेवक दासव (बाराबंकी) : लेकिन रेडियो तो रोज बोलता है ।

SHRI DINKAR DESAI : The radio can say anything it likes. But is there any reality behind it?

Then, there is the question of ashram schools. That is a good scheme. But how many ashram schools are there all over India in the tribal areas? Without these ashram schools, in the isolated areas which are in the forest, it is impossible to bring these children to schools. Sir, my district is a forest district, and 82 per cent of the total area of it consists of forests. There are villages with just three or four houses in each. Surely, we cannot have a school there for four children or three children. Instead of that, we could collect these children in a central village in ashram school and feed them there and give them education. The conception of an ashram school is a very good conception, but unfortunately, these ashram schools have not been started on a large-scale. There are very few ashram schools in the whole country. I would suggest that as far as the tribal areas are concerned, there must be ashram schools all over.

There are also very many isolated and small villages where the Harijans live. For the benefit of the children in those villages, we must have residential schools. That

means that we must have these children live in the hostels, feed them properly and educate them properly. Unless we have the system of ashram schools and residential schools, their condition cannot improve. I am not confining myself at this stage only to Scheduled Castes and Scheduled Tribes but to other people who are also as poor as these people. When mid-day snacks are given in any particular school to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes children, we must include those children also who are suffering from hunger, irrespective of their caste.

The attitude of our Governments is so callous, the Central Government being included in this list. There are Central schools started by the Central Government with the idea that they should be model schools for State Governments and voluntary agencies to copy. According to the latest report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There were 188 Central schools. What is the treatment given to Harijan children in these schools? They have been completely neglected. The commissioner says in his latest report :

"About 118 Central schools functioning through the Central Schools Organisation, Ministry of Education, are imparting education up to the higher Secondary level. In the recent past, complaints were received that in many of these schools, the cases of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students were not considered sympathetically. From the data collected about the enrolment position, it appears that the position was disappointing and the number of students belonging to these categories was almost negligible in the secondary stage of education. It is felt that until and unless specific reservation is prescribed for students of these categories, the position will not improve in the immediate future."

This is another condemnation of the Government of India. I am very sorry that the Education Minister is not present during this debate, but I hope that the hon. Minister present here will convey this re-

mark to the Education Minister. It is a very serious matter. This clearly shows this : take the Central Government, take any State Government, take the government of any political party today, these people are completely neglected.

15 hrs.

SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI (Karol Bagh) : Except the Jana Sangh Government in Delhi.

SHRI DINKAR DESAI : I do not know about Delhi, not being acquainted with conditions here.

But I have made a study of these reports and this is my impression—I am sure many any of my colleagues will share this impression

Then take girls, education. Government claim to take special interest in it, because it is more important, because when the girl is educated and when she becomes a mother, she would like her children to be educated. So the future mother should be first educated. By reason of this special interest, the Government of India give grants to State Governments. Grants are given for the construction of hostels. What is the fact of these hostels? There is a paragraph in the latest report of the Commissioner. I would read it.

“Though the Government of India have been sanctioning grants for this scheme from year to year, it is observed that necessary details regarding the number of hostels constructed and expenditure incurred thereon have not been made available by the States.....

this is a matter of scheme—

“It is also not known whether these institutions are functioning satisfactorily”—

that is, the girls' hostels—

“and whether the extent of benefit derived by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students is adequate”.

This is another condemnation of the State Governments and the Government of India. It is the duty of the latter to force the former to inform them as to how the money was spent, whether the hostels were constructed and how they are functioning. But the Government of India keep quite

for various reasons, including political. If a State Government does not make a report, the Central Government should not give grant for the next year. But the Central Government do give grant next year and only inform the Commissioner that they do not receive any information whether the money was spent at all or not. This is a fraud on the funds of the Government of India by the State Governments. Such a fraud should not be tolerated.

I have made certain suggestions for the improvement of the education of these children, and for the spread of education also. In the first place, you must bring every child to school and then go on improving education. It is easy for me to make a speech like this here; it does not cost any money. It is easy also for Government to appoint committees. It costs little money. Except in the sense that Parliament costs money, my making a speech here does not cost any money except the charges for printing it in the debates tomorrow. But in order to put into practice the various suggestions I have made, the Government must come forward for spending adequate amount of money. Finance is the most important. Today educational problems are not properly solved in this country mainly because the Government of India practically spend nothing on education. This I had occasion to show when I spoke two years ago on the Demands for Grants of the of Education Ministry. In our education budget, you will find a provision of about Rs. 100 crores out of a total budget of more than Rs. 3,500 crores. But of these Rs. 10 crores, only about Rs. 25 crores is spent on education proper; the other portion is spent on museums, the archeological department, map-making etc. I do not say they are unimportant, but it is not education proper. So the Government of India practically do not spend anything on education, including primary education, in spite of the fact that there is mention in the Directive Principles of our Constitution that it is the duty of the Government to make every child educated within ten or 15 years, I forget...

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : They have also forgotten.

SHRI DINKAR DESAI :after the Constitution came into operation. Eighteen years are over, what is the result? The result is that today—I have calculated—25 per cent of the total number of students, not

of Harijans but of all castes, of school-going age are loitering in the streets in ignorance. And if any body is to be blamed most for this, it is the Central Government because the Central Government does not spend any money on education. It is better they abolish the Education Ministry instead of deceiving the nation like this. This is the crux of the whole problem. The Government of India must spend money.

I know why this is happening. It is due to the policy that we inherited from the old British Government. The old British Government which was not a national Government, was not interested in our education, that is why they gave that responsibility to the State Governments which did not have sufficient money with them. We are following the same policy of the British Government, as if our Central Government is a foreign Government, not interested in the education of our children.

Today the States do not have sufficient money for educating every child. Kerala spends about 40 per cent of its total revenue on education, Tamil Nadu spends about 35 per cent and Mysore about 22 per cent, but it is not enough. So, if you leave this matter only to the States, the problem of education in this country—I am particularly referring to the primary education—will never be solved. So, I would like to make a request to the Central Government that they must give at least 50 per cent of the total cost to the State Governments for primary education of all the children. The only the Scheduled Castes and Scheduled Tribes children will be in a position to get education. If you leave this matter to the States alone, it will not be possible.

Then, I would like to say something about the land problem. Today we are blaming those persons and parties who have supported the land grab movement, but how long will the poor people wait? They have waited for nearly a quarter of a century. Land was promised to these poor people, but was it given? No. When land is not given to the landless, certainly there are bound to be movements of this type. I would like particularly the Prime Minister to make a note of this.

Whenever land is given, you will find in the reports that so many acres have been

given in a particular State to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but what kind of land? It is all waste land, unproductive land. Land which cannot produce any thing is given to these poor people. Sometimes I have seen that land is given to these people near the burning ghat in the village or town, which is useless land which is not at all fertile. So, I would suggest that fertile land should be given to them. There are big-estates, they must be fragmented and given to these people.

I come from coastal Mysore area, and I have seen with my own eyes in my district that there are rich cocoanut gardens, and under those cocoanut trees there have been huts of Harijans for centuries, but the land does not belong to them. The cocoanut gardens do not belong to these people, they belong to the landlord who sometimes stays in that village, and is sometimes an absentee landlord. My suggestion would be that all this land should be acquired by Government and distributed to the people who have been living there for centuries.

This is a pathetic tale. What is the use of giving waste land to these people? And Government takes pride in it. Thousands of acres of wasteland are given to these poor people. It is a matter of shame that uneconomic land had been given to these persons. They must give them fertile land. There are big estates. Why do they not acquire those lands and give to these poor people that is the way to solve land problem.

Then there is the question of house sites. The poor people have not even got house sites, leave alone houses. I have seen with my own eyes in coastal Mysore that the Harijans are living in the lands of the landlord as serfs. They must always be at the beck and call of the landlord because they live in huts which are in the gardens of the landlords. They are not houses; they are really small huts. If they do not do what the landlord say their huts may be destroyed by him. The land belongs to the landlords and these huts had been constructed by the poor Harijans. In this big report on untouchability, about 400 or 500 pages, a bulky report, there is reference to their economic conditions. The report says

[Shri Dinkar Desai]

that only 6 per cent of the people got house sites all these years at this rate, it will take a century or more to give house sites to all the Harijans. That means it will never happen; nobody knows what is going to happen after a century.

Many foreign countries will be surprised to learn that there is some kind of slavery in this country even today; I will call it serfdom. In the report it is called bonded labour. But it is not labour, it is slavery or serfdom. There is a whole chapter on it. This system has been going on for a long time and is still prevalent in more than ten States as mentioned in the report. What is bonded labour? Suppose a poor man has no money for the marriage of his son or daughter, particularly a son and he needs money to feed his relations, etc. he goes to a money lender or landlord and asks him to give Rs.100 or Rs.50. That man obliges him. Then the poor fellow is unable to repay it at any time and as long as it is not repaid, it is the custom that he must go and work in his fields. The system is called Kamoti in South Bihar, Jetha in Mysore, Hal in Gujarat and Hari Begari in some other places. That shows that the system was widely prevalent. It is a matter of shame for us that in free India we have not lakhs of persons who are slaves in this way. The Government of India and the State Governments should take stringent measures. They must see to it that this slavery system is abolished in this country.

15.20 hrs.

[SHRI SHRI CHAND GOYAL in the Chair]

Then I would like to refer to the recommendation made by the Dhebar Commission. There is no dearth of Commissions in this country. The Dhebar Commission was appointed some years ago for improving the condition of the tribal people but nothing has been done. The recommendations are in cold storage. This fact is mentioned in the report. The latest report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes mentions this fact. The Dhebar Commission made a very valuable recommendation. The tribal

people are losing their land and they have lost their land, and in order to prevent the alienation of the land of the tribal people, the Dhebar Commission made certain very good recommendations, and though the Commission was appointed some years ago, their recommendations are still in cold storage. This is again a matter of shame. I am not exaggerating.

I do not want to take all the time that is allotted to my party, because I would like Mr. Krishna to speak later on. Today he is not present. Tomorrow he will speak. That is why I do not want to take more time. (Interruption) Our party's time is still available. So, he will also speak on behalf of our party. I do not want to take the full time allotted to my party.

I would now like to summarise what I have said. The crux of the problem is that there is no real interest either in the Central Government or in the State Governments for improving the condition of these people. If the Government of India and the State Governments are really honest to solve the problem of these poor people,—I would say these unfortunate people—they must spend more money and also it is no use just appointing Commissions and Committees and making speeches and having debates. How many debates have we had over this?

There is another instance to show how Government is treating this subject. All the reports for the last three years have been combined. The reports were not discussed for three years, and after a lot of agitation in this House, this debate has come about. This itself is a matter of shame. The Constitution has made a special provision that every year, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, must submit a report to the President through the Ministry concerned, but that report was not discussed in this House for the last three years. That is a reflection on the Ministry. They are not interested; they think this is unimportant, and now we are discussing all the three reports at one time. This is another instance to show how the Central Government is completely neglecting this problem.

I do not want to say anything more. I hope that the Government will take this problem more seriously and will spend adequate amounts of money not only from the Central exchequer but will also give a directive to State Governments as to what can be done. The Central Government can issue a circular to every State Government that if they spend more on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on education and other amenities, the Government of India will bear a certain proportion of that expenditure, and that will give an inducement to the State Governments to spend more amounts for this subject. This must be done.

I have nothing more to add. I thank you for giving me this much of time to speak on this problem.

श्री तुलाराम (अरारिया): सभापति महोदय, आदिवासियों, हरिजनों, खासकर जो मजदूर और थोड़े से किसान हैं उनके बारे में रिपोर्ट तो बनती है, जैसे महाभारत में बातें लिखी गईं, रामायण में बातें लिखी गईं, गीता और उपनिषद् में भी लिखी गईं, लेकिन उन को कार्य के रूप में लाने की कोशिश नहीं होती। अगर ऐसा किया जाता तो यह बीमारी बहुत पहले ही खत्म हो जाती। वैसे जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वह बहुत ईमानदारी से घूम घूम कर तैयार की जाती है, उस में हमारी कमजोरियों और खामियों की बात कही जाती है, लेकिन मैं घ्राप के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वाद-विवाद के सन्दर्भ में जो बातें मेम्बरों द्वारा कही जाती हैं क्या कभी उन पर अमल किया जाता है? सामाजिक आजादी हो या आर्थिक आजादी, भीख मांगने से घ्राज तक न मिली है और न मिलेगी। अगर संघर्ष किए हुए यह चीज मिलने वाली नहीं है।

मैं हूँ मजूर मैं हूँ किसान,
मैं मानवता का मरन रूप मरघट के
मुर्दे के समान।

मैं हूँ मजूर मैं हूँ किसान
मैं अरी तिजोरी वाले सेठों का रंगीन हवाब

मैं वर्तमान, मैं भविष्य, मैं हूँ युग,
मैं हूँ इन्कलाब
है कौन मुझे जो रोक सके,
किस का साहस किस की मजाल
अब मैं हल कर लूंगा
अपनी रोटी का ठुकराया सवाल
ओ पूँजी वाले होशियार,
ओ महलों वाले सावधान
आजादी की बल बेदी पर
हमने बार बार शीघ्र दिये
भूखे नंगों की टोली को
जब चाहा जिसने पीस दिया
स्वातंत्र्य युद्ध का सैनिक,
मैं कंधे में कंधा जोड़ लड़ा
साम्राज्यवाद की छाती पर
मैंने भी खींची थी कमान
मैं हूँ मजूर, मैं हूँ किसान।

क्या हम चाहते हैं? देश के नेताओं से हमारी मांग क्या है? 22 साल तक आपने योजनाएं बनाईं, स्कीमें बनाईं। पैसा बाहर से अमरीका, रूस, इंग्लैंड आदि से आपको मिला है और भीतर से भी आपने पैसा इकट्ठा किया। 22 साल पहले भी आपने स्कीम बनाई थी और जमीन की सीमा बन्दी का आपने एलान किया था। आज भूमि हड़पो आन्दोलन चल रहा है। मेरी समझ से वह भूमि हड़पों आन्दोलन नहीं हैं बल्कि मुक्ति आन्दोलन है। पहली बात तो यह है कि दूसरों की जमीन पर जो किसान और हरिजन बसे हुए थे, उन गरीबों के लिए कहीं भी जगह नहीं है। वे गरीब बेहाल हैं। हरिजनों की वही हालत है जैसे 22 खिलाड़ियों के बीच में फुटबाल की होती है। जिस के पैर के नजदीक फुटबाल जाता है वही उसको ठोकर मार देता है। यही हालत हरिजनों की है।

जिस पर मेरा हल चल बैठा
वह जमीन मेरी है, मेरी है

[श्री तुलाराम]

अरे यह चप्पा भर जमीन नहीं,
पूरी दुनिया मेरी है, मेरी है।
तुम पूछो रबी खरोफ को,
इस घानी धरती से पूछो
बोल पड़ेगी मेरी ताकत मेरी मेहनत
भरे जेठिया चोमासे में जिस को
बोया मैंने मर कर

खून पसीना एक बना कर

इन महलों की बारहदारी की नींव कहेगी
खड़ी न होती अगर न गिरता यहां पसीना
कुछ मेरी मेहनत का
ए खेम खाह लाल दूधाले मलमल मलमल
बोल रहे हैं हर मिल मिल से
मेरी सूझ बूझ की ताकत मेरी मेहनत
इन रुपये पैसें से पूछो
बोल पड़ेंगे मेरे ही सांचे में

ढल कर बने हुए नकद नाराधण
इसलिए इस पर लागत है

तो मजदूर की ताकत मेहनत
तभी आज मेरा दावा है, सब मेरी है
इस दुनिया के इस्तेमाल की
चीखों की डेरी

अरे यह चप्पा भर जमीन नहीं,
पूरी दुनिया मेरी है, मेरी है।

मैं समझता हूँ कि सामाजिक आजादी और उसके साथ साथ आर्थिक आजादी हमें तभी मिल सकती है, जब हमें शिक्षित बना दिया जाए। एक एक बात को सुन कर आपको हंसी आएगी और तकलीफ भी होगी। मेम्बर भी कुछ अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं और और जगह भी बढ़ रही है। लेकिन आप देखें कि हरिजन विद्यार्थियों के लिए जो स्कालरशिप की राशि है वह कब फिक्स की गयी थी। कालेजों और स्कूलों में जो हरिजन विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको जो मदद मिलती थी, उस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही स्कैल उसका अभी भी है,

15, 20 या 35-40। पैसों भी बढ़ रही है। उसमें भी परिवर्तन हो चुका है। हरिजन छात्रों की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

आप लोगों की मनोभावना को देखें। बोलते तो कुछ हैं लेकिन भीतर कुछ और ही होता है। अगर मन साफ होता तो जरूर आप नजर दौड़ाते।

आप देखते तो आप को पता चल जाता कि संविधान में तो यह जरूर व्यवस्था कर दी गई है कि हरिजनों के वास्ते नौकरियां सुरक्षित रखी जाएंगी। लेकिन क्या आपने इसको देखने की कोशिश की है कि उनको उनका हक मिलता है या नहीं मिलता है? दूर मत जाइये, यहां ही आप देख लीजिये। जब यहां ही हम मनवा नहीं सकते हैं तो दूसरे लोगों से हम कैसे मनवा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार में जितने मंत्री हैं क्या उनकी संख्या निर्धारित करते समय हरिजनों को जो संरक्षण प्राप्त है, उसका ध्यान रखा गया है। क्या उसी अनुपात में हरिजन मंत्रिमंडल में लिये गए हैं? जब यहां ही हम नहीं कर पाते हैं तो बाहर हम क्या करेंगे?

22 साल हो गए हैं फिर भी यह कहा जाता है कि हम को सूटेबल इंजीनियर नहीं मिलते हैं, डाक्टर नहीं मिलते हैं। जहां देखो यही लिख दिया जाता है कि कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। यह बिल्कुल झूठ बात भी है। फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए भी लिख दिया जाता है कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला जबकि उसी काम को करने की वजह से आज भी हम अस्पृश्य हैं, हरिजन हैं। फाइलें ढोने के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। हवाई जहाजों पर क्लीनर का काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। मुझे डा० लोहिया की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि भंगियों की तनख्वाह पांच सौ रुपये और एक हजार रुपये कर दो अगर सामाजिक फान्ति लाना चाहते हो, अगर भंगियों को भंगी बना कर रखना नहीं चाहते हो, हरिजनों की हरिजन बना कर नहीं रखना

चाहते हो। बात ठीक भी है। तब दूसरे लोग भी इन कामों को करने के लिए धागे आएंगे। तब समाज के अन्दर जो विषमता है, जो नफरत है, घृणा है, वह दूर हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो अच्छी बात है, आप हमें पढ़ा लिखा तो दें। अगर आपने ऐसा किया तो सामाजिक क्रान्ति सम्भव हो सकती है। जिस काम को करने की वजह से समाज उसके साथ घृणा करता है, अगर आप उससे वही काम कराते रहे तो कैसे छुआछूत को आप दूर कर सकते हैं? कैसे घृणा की भावना को आप निकाल सकते हैं? इस वैज्ञानिक युग में तब आप लाख प्रवचन और भाषण करें और कानून बनाएं, सामाजिक क्रान्ति और सामाजिक आजादी नहीं मिल सकती है। सामाजिक आजादी दिलाने के लिए आपको आमूल परिवर्तन करने होंगे, काम के तौर तरीकों में परिवर्तन लाना होगा।

एक तरफ संगठन की बात चल रही है, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई में भेदभाव न हो, सब मिल कर काम करें, यह बात चल रही है और दूसरी तरफ हरिजन स्थान आप बना रहे हैं। हरिजनों के लिए आप अलग से छात्रावास बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? सर्वण-अवर्ण को हम एक जगह बिठाना चाहते हैं, छुआछूत को हम दूर करना चाहते हैं लेकिन जब आप योजना बनाते हैं तो गांवों में आप हरिजनों के लिए अलग बस्ती बनाते हैं। इसी तरह से शिक्षण संस्थाओं में भी आप हरिजन छात्रावास बना रहे हैं। इससे उनके अन्दर हीनता की भावना आती है। इस हीनता की भावना को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, उन में तब तक रहानी ताकत नहीं आएगी तब तक सामाजिक क्रान्ति करने की लियाकत भी उसमें नहीं आएगी। इस वास्ते मैंने एक सुझाव दिया था। सुझाव यह था कि जो होस्टल बने

हुए हैं उन में पचास परसेंट दूसरी जाति वाले लड़कों को भी रखा जाए और वे लड़के मेरिट वाले होने चाहिये। ऐसा किया गया तभी तो संस्कृति का आदान प्रदान होगा। आजकल होता यह है कि तमाम हरिजन लड़के ही वहां होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक धरातल ऊंचा नहीं होता है। अगर तमाम कूड़ा करकट एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो वह कूड़ा करकट ही रह जाएगा। इस वास्ते पिक्चर्ड होस्टल होने चाहियें। हरिजन होस्टल को आप जनरल होस्टल के साथ अटैच करें। छुआछूत को मिटाने के लिए जो ऊंची जाति के विद्यार्थी हैं लेकिन जो गरीब हैं, उनको कुछ राहत दे कर आप हरिजन छात्रों के साथ रखें। सरकार ने अपने कई लाख कर्मचारियों को मन्थली पेमेंट करने की व्यवस्था की हुई है। लेकिन हरिजन विद्यार्थियों को जो बर्जीफा मिलता है, वह कैसे दिया जाता है? एक तो उस की ठीक व्यवस्था नहीं है—उस को टीचर खा रहे हैं, ब्लाक आफिसर खा रहे हैं, दूसरे खा रहे हैं। उचित तो यह है कि विद्यार्थी को बर्जीफा हर महीने मिले, ताकि उस की जरूरत पूरी हो सके और वह अच्छी तरह पढ़ सके, लेकिन उस को वह बर्जीफा छः महीने या एक साल के बाद दिया जाता है। परिणाम यह है कि जिस उद्देश्य से वह बर्जीफा दिया जाता है, उस की पूर्ति नहीं होती है। मेरा सुझाव है कि सरकार एक तो बर्जीफे में वृद्धि करे और दूसरे, उस की मन्थली पेमेंट करवाने की व्यवस्था करे।

देश की भूमि समस्या से हम सब परिचित हैं। और जो आन्दोलन चल रहा है, वह न भूमि हड़पों आन्दोलन है और न ही भूमि मुक्ति आन्दोलन है। जो भूमि के प्रति और समस्याओं के प्रति बफ़ादार नहीं हैं, वे नेता लोग केवल वोट प्राप्त करने के लिए ऐसी जमीनों पर चढ़ाई कर रहे हैं, जो कि खेती लायक नहीं हैं। अगर ये लोग राजनैतिक चालबाजी न कर के

[श्री तुलाराम]

समस्याओं के प्रति बफ़ादार हों और सारी जनता के साथ कन्वे से कन्वा मिला कर प्रयत्न करें और सरकार पर दबाव डालें, तो इन समस्याओं का समाधान होना लाजिमी है। ये लोग तो अपने कामों से इस समस्या को हल्का बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भूमि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाये। अगर नहीं किया जायेगा, तो चार छः महीने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद, और भी खूनी क्रांति या आन्दोलन शुरू होने की सम्भवना है।

जब मैं आये-दिन हरिजनों पर अत्याचार और जुल्म की कहानियाँ पढ़ता हूँ तो मुझे तकलीफ या आश्चर्य नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि हरिजनों में जिदगी आई है, इसी लिये वे लोग मारे जा रहे हैं। मेरे जैसा धादमी इन बातों से घबराता नहीं है। बल्कि मैं सोचता हूँ कि हरिजनों में अब जिन्दगी धार रही है, मरने की लियाकत धार रही है। अगर वे मरना नहीं सीखेंगे, तो वे अच्छी तरह से जी नहीं सकते हैं। इस लिए हरिजनों पर जुल्म और ज्यादती होने से आप को और हम को घबराता नहीं है। जुल्म और ज्यादती तो स्वाभाविक है—बह पहले भी हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं।

पाकिस्तान से जो रेफ्यूजी आते हैं, उन से मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि उनको बसाया न जाये, उनको जमीन न दी जाये और न के लिए सब इन्तजाम न किया जाये जरूर किया जाये। लेकिन क्या हरिजन और आदिवासी इस देश में रहते हुए भी रेफ्यूजियों से भी बदतर हालत में नहीं रह रहे हैं? क्या सरकार के पास इस बात का कोई जबाब है? रेफ्यूजी लोगों को सरकार जमीन और मकान देनी है और सब प्रकार की सहूलियतें देनी हैं। लेकिन हम तो आदिकाल से यहां बसे हुए हैं। समाज का काम करते करते हम हरिजन और अस्पृश्य बन गये हैं, लेकिन हम को एक

बालिष्ठ भर भी जमीन नहीं मिल पाई है।

मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट केवल वाद-विवाद करने के लिए ही यहां नहीं आती है, बल्कि इस रिपोर्ट पर बहस इस लिए होती है कि इस पर अमल किया जाये। यह रिपोर्ट इसी लिए पेश की गई है कि पार्लियामेंट के सदस्य, नेता और मिनिस्टर इन समस्याओं के बारे में विचार करें और मिल-जुल कर इन के समाधान के लिए कारगर बंग से काम करें।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूँ कि यह कोई हरिजनों और आदिवासियों की ही समस्या नहीं है—यह राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन आज तक इस समस्या के साथ जो बर्ताव किया गया गया है, वह एक राष्ट्रीय समस्या समझ कर नहीं, बल्कि केवल हरिजनों और आदिवासियों की समस्या समझ कर किया गया है। इस लिए इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हो सकी है। मैं चाहता हूँ कि बदलती हुई दुनिया और राजनैतिक उथल-पुथल की रोशनी में सरकार और नेता कारगर बंग से काम करें, ताकि पार्लियामेंट के फ्लोर पर फिर ये शिकवे और शिकायतें सुनने को न मिलें।

श्री रामस्वरूप बिद्यार्थी (करोलबाग) : सभापति महोदय, कई दिनों से इन रिपोर्टों पर बहस हो रही है। मुझे इस पर आपत्ति है। इन रिपोर्टों पर बहस नहीं होनी चाहिए थी। जब किसी रिपोर्ट पर बहस होती है, तो उससे पहले की सब रिपोर्टों के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हाउस में रखी जाती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसलिए इन रिपोर्टों पर बहस नहीं होनी चाहिए थी।

इसके अतिरिक्त एलियापेरुमाल कमेटी की रिपोर्ट भी बहस के लिए रख दी गई है। ऐसा करके इस मंत्रालय ने जान-बूझ कर धरारत की है और इस रिपोर्ट को भी कमिश्नर की

रिपोर्टों के साथ नत्थी कर दिया है, ताकि इसमें जो कुछ कहा गया है, वह हाउस के सामने न आये और सदस्य उसके बारे में कुछ न कह सकें।

सरकार इस सारे मसले के बारे में हमेशा बदनीयती बरतती रही है। प्राज भी जब यह बहस हो रही है, तब भी सरकार की बदनीयती हमारे सामने है। तेरह घंटे तक बहस हो चुकी है और इस दौरान में माननीय सदस्यों ने कई पायंट्स सरकार के सम्मुख रखे हैं, लेकिन सरकार का कीर्ति प्रतिनिधि किसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए हाउस में उपस्थित नहीं हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि यह सरकार इस रिपोर्ट को कितना महत्व देती है। क्या इस तेरह घंटे की बहस में सरकार को ऐसा कोई भी पायंट नजर नहीं आया, जिसके बारे में वह स्पष्टीकरण करने की जरूरत सभे? असल में वह तो चाहती है कि सदस्य अपनी भड़ास निकाल लें, वह इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, लोगों को बेवकूफ बनाया जाये और हरिजनों तथा आदिवासियों की प्रगति में रुकावट डाली जाये।

इस हाउस में कई पायंट्स रेज किये गये हैं। एजुकेशन के सम्बन्ध में कहा गया है। स्टील प्लांट्स में हरिजनों की भर्ती के बारे में कहा गया है। और भी कई बातें कही गई हैं। लेकिन उन सब का जवाब देने के लिए श्री जगन्नाथ राव ही बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि वह एजुकेशन या स्टील प्लांट्स के बारे में क्या कहेंगे। जिस मिनिस्ट्री पर इस देश के दस करोड़ लोगों की उन्नति का दायित्व है, उसको प्लानिंग कमिशन ने बहुत नीचे, शायद बीसवें नम्बर की, प्रायटी दी हुई है। यह सरकार की गलती और बद-बयानती है। सरकार की नीति हमेशा यह रही है कि इन लोकों का किसी प्रकार का से कोई सुधार न किया जाये।

आखिर सरकार ने इस महत्वपूर्ण काम के

लिए कौनसी मशीनरी बनाई है? एक तो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है। उसकी यह हालत है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर कहता है कि ऐसे आंकड़े दिये जायें कि सर्विसिज में रूल्ड एंड रैगुलेशन्ज को इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं। हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन है या नहीं और उनका क्वोटा पूरा किया गया है या नहीं, लेकिन यह मिनिस्ट्री वह जानकारी नहीं दे पाती है।

मैं इस संदर्भ में एलियापेरुमल कमेटी की रिपोर्ट से कुछ उद्धृत करना चाहता हूँ। यह कहने हैं कि यह कमेटी बनी, इसके लिए सेक्रेट्री उन्होंने नियुक्त किया, हमारे सुन्दरम साहब को, आजकल तो शायद हैं नहीं डिपार्टमेंट में और यह एक अनोखी मिसाल है कि कमेटी देश के अन्दर भ्रमण करने के लिए जाये और सेक्रेट्री एक साल तक कमेटी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वह लिखते हैं :

"It is noteworthy that even though many Central Government Departments furnished us the information called for, there was no reply from the Social Welfare Department which is in charge of the welfare of Scheduled Castes."

तो जब ऐसी हालत है कि चोर ही रखवाला हो गया तो फिर क्या हालत होगी। इसी तरह से होम मिनिस्ट्री को सर्विसिज का कार्य दिया है कि होम मिनिस्ट्री उनके संरक्षण का ख्याल करे लेकिन होम मिनिस्ट्री भी पूरी तरह से फेल हुई है। उसने भी इमानदारी नहीं बरती है। मैं होम मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े शेड्यूल्ड कास्ट्स कमेटी की 18 वीं रिपोर्ट से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सीनियरिटी के सम्बन्ध में बड़ा स्पष्ट प्रान्स्वीगुवस शब्द है कि अगर किसी शेड्यूल्ड कास्ट की तीन साल की सर्विस हो जाये तो उसे कन्फर्म कर दिया जाये और कन्फर्मेशन के बाद फ्राम

वि डेट आफ कन्फर्मेशन उसकी सीनियारिटी काउन्ट की जाये। लेकिन आपकी मिनिस्ट्री, डिफेन्स मिनिस्ट्री या सेन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन, उसके अन्दर इसकी अवहेलना होती है और इरीगेशन और पावर में भी यही हालत है। उसके अन्दर उन्होंने एप्रूवल लिया होम मिनिस्ट्री से, वह ऐसा करते हैं कि कन्फर्म्ड शेड्यूल्ड कास्ट्स जो है उसको टेम्पोररी आफिशिएटिंग अदर कम्प्युनिटी का जो एम्पलाई है उससे जूनियर कर देते हैं, सीनियारिटी कन्फर्मेशन से नहीं देते हैं और जनाब कहते हैं...

"The Ministry of Defence claimed to have secured the approval of the Ministry of Home Affairs to the procedure followed by them."

इसके आलावा डी रिजर्वेशन है नौकरियों का उसका भी यही मामला है। एक केस का इसी रिपोर्ट के अन्दर उल्लेख किया गया है कि एक मिनिस्ट्री ने एक रिजर्व्ड वैकेन्सी...पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया और 7 साल होम मिनिस्ट्री से डी रिजर्वेशन के लिए एप्रूवल नहीं लिया। 7 साल के बाद जब वह होम मिनिस्ट्री को लिखते हैं तो वह कहते हैं दोबारा एडवटाइजमेंट किया जाये। जब शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर ने इस मामले को टेकअप किया तो होम मिनिस्ट्री कहती है कि मामला लम्बा हो गया है एक आदमी सात साल से काम कर रहा है, अब अगर शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी रखा गया तो उसको हटाना पड़ेगा इस लिए कम्पैशनेट प्राउन्ड पर उनको रहने दिया जाये।

इसी प्रकार 1955 में होम मिनिस्ट्री ने एक सकुलर निकाला कि जहाँ भी सर्विस मैटर्स में जो होम मिनिस्ट्री के रूल्स हैं और सकुलर्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स के सम्बन्ध में, अगर उनकी अवहेलना हुई तो हेड आफ दि

डिपार्टमेंट के पर्सनली रेस्पॉसिबिल ठहराया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 1955 का जो रूल था उसके तहत आज तक आपने कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही की है और अगर नहीं की है तो क्या आप यह समझते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी को इमानदारी से निभाया है, उन्होंने किसी रूल की अवहेलना नहीं की है? और अगर को है तो आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ आज तक कोई कार्य नहीं की है?

एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जब भी रेकूटमेंट होता है तो इस बिना पर कि कोई सूटेबिल शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट एवलेबिल नहीं है, उस पोस्ट को दूसरे आदी से भर दिया जाता है। लेकिन होम स्ट्री की जो बिल्कुल स्पष्ट डायरेक्शन्स हैं आज तक उनका किसी का पालन नहीं होता। मैं इसी रिपोर्ट के पेज 38 से आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ। प्रिंसाइब के लिए स्पेसि-

"In regard to de-reservation of posts, according to the instruction contained in the Ministry of Home Affairs Office Memorandum.....dated 13th March 1968, the appointing authorities while making a reference for de-reservation of reserved post to the Ministry of Home Affairs, have to give full details in support of the proposals for de-reservation such as the number of reserved vacancies, the qualifications, experience, etc., prescribed for the post, the number of Scheduled Caste/Tribe applicants, the number invited for interview/test, where this was necessary, the efforts made to get suitable candidates from Scheduled Castes/Tribes, the precise reasons for non-selection of Scheduled Caste/Tribe candidates etc. Experience shows that such a reference does not contain all these details especially the precise reasons for non-selection of Scheduled Caste/Tribe candidates. About the reasons for refection of candidates all that the appointing authorities

(श्री रा० स्व० विद्यार्थी)

aver is that they were not found suitable."

प्रिसाइज रोजन के लिए स्पॅरोज फिकली इसके अन्दर कहा गया है लेकिन न आजतक...कभी सोशल वेलफेयर मिनिसट्री ने और न होम मिनिसट्री ने इस बात परवाह की है कि उनसे पूछा जाये। इससे जाहिर होता है कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार बास्तब में हरिजनों का उद्धार नहीं चाहती। वह बोट की राजनीति से प्रभावित है। वह समझती है कि अगर ऊपर उठ गया, वह इनकी जो एक्स्प्लायटेशन की पालिसी है उसको समझ गया तो इस सरकार को गिरा देगा और यह सरकार आगे नहीं चल पायेगी।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। यहां इस बहस में उम साइड के लोगों ने बड़े जोर से सरकार की आलोचना की। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या वे स्वयं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि आजतक हरिजनों के उद्धार के लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर वह इमानदारी से महसूस करते हैं कि हरिजनों का उद्धार होना चाहिए और यदि वे इमानदारी से समझते हैं कि हरिजनों के उत्थान के लिए सरकार ने जितना करना चाहिए या उतना नहीं किया तो मैं उन से कहूँगा कि वह बजाय उधर बैठने के इधर बैठना शुरू कर दें ताकि यह सरकार गिरे। लेकिन इसके लिए वे तैयार नहीं होंगे।

सोशल वेलफेयर मिनिसट्री और होम मिनिसट्री के झलावा इनके आरक्षण की देख-भाल के लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर को नियुक्त किया। कांस्टीट्यूशन का प्राविजन है। अगर सरकार में जरा सी भी इमानदारी होती तो शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर का स्टैंटस भी एलेक्शन कमिश्नर जैसा होता या फ्राइटर जनरल जैसा होता। लेकिन उन्होंने बदनीयती बरती और उमका स्टैंटस जान बूझ कर लोअर रखा और आज की स्थिति ऐसी है कि किसी

रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट को कमिश्नर बना दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अगर उस व्यक्ति को कभी प्राइम मिनिसटर से डिस्कशन के लिए जाना हो तो वह दो दफा काफी का रूप पियेगा, कमरे के अन्दर भाँकेगा और किसी तरह अगर पहुँच भी गया तो हाथ जोड़ कर बैठा रहेगा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि प्राइम मिनिसटर से कोई बात करे। तो जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो किस मुँह से कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स का उद्धार होगा? तो मैं चाहता हूँ अगर जग सी भी इमानदारी इनके अन्दर है तो सोशल वेलफेयर मिनिसट्री को पहले तो ठीक करें फिर शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर का स्टैंटस रेज करें। पहले वो कमिश्नर आये। उनके अन्दर कुछ इन्डे-पेन्डेन्स थे, वे इमानदारी से अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। लेकिन उसके बाद हमेशा यही प्रयास होता रहा कि कमिश्नर का स्टैंटस नीचे आता जाये। इसलिए अगर वह चाहते हैं कि इमानदारी से कमिश्नर अपनी प्रोपोनियन प्रेसीडेंट को और इस हाउस को दे सके तो कम से कम उसका स्टैंटस कैबिनेट रैंक के मिनिसटर के बराबर का हो। अगर कमिश्नर का स्टैंटस कैबिनेट रैंक के मिनिसटर के बराबर होता तो बहुत से साधो उनके अन्दर लग सकते थे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट को भी कमिश्नर न बनाया जाये। हमेशा पब्लिक के अन्दर से आदमी लिया जाये और उसका स्टैंटस कम से कम कैबिनेट रैंक के मिनिसटर के बराबर हो ताकि वह अपनी प्रोपोनियन निर्भीक रूप से दे सके और अपनी रिक्मेंडेशन जो करनी चाहिए वह कर सके। अब कमिश्नर की क्या हालत है, इस का भी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। डी० जी० पी० एण्ड टी० में एक व्यक्ति की सर्जिसिज को टर्मिनेट कर दिया गया। कमिश्नर ने लिखा कि उस की सर्जिसिज को क्यों टर्मिनेट किया गया है, उस का रिकार्ड भेजें। उन्होंने साफ इन्कार कर दिया, आप इस से

[श्री रामस्वरूप विद्यार्थी]

अन्दाजा लगा लीजिये कि कितने निम्न स्तर का कमिश्नर को समझा जाता है। उन को डी० जी०, पी० एण्ड टी० लिखते हैं—

"While stating in the reply that it is not possible to give reasons for the termination of service of the employee concerned, the DG, P and T has suggested that the Member (Administration), P and T Board will be glad to discuss this case with the Commissioner personally, if he makes it convenient to call on him."

यानी कमिश्नर उन के पास आये। जब इतना छोकर स्टेटस हम ने कमिश्नर का कर दिया है, तो फिर उन से इन्साफ की क्या उम्मीद हो सकती है, किस तरह से उस से दूसरा आदमी प्रभावित हो सकता है? इस लिये मेरी प्रार्थना है कि उस के स्टेटस को ज्यादा बढ़ाइये।

सर्विसिज के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी होम मिनिस्ट्री का उदाहरण दिया—वहां पर ईमानदारी नहीं बरती जाती, अगर वे एक प्रतिशत भी ईमानदारी बरतना चाहते हैं तो ज्यादा न सही स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने जो कुछ कहा था, उसे ही स्वीकार कर लें। सभापति महोदय, 1964 में प्लानिंग कमिशन के तहत एक सेमिनार हुआ था और उस सेमिनार ने कुछ रिकमेन्डेशन्स की थीं, उस सेमिनार की एक रिकमेन्डेशन में आप के सामने उद्धृत करना चाहता हूँ—उस रिकमेन्डेशन में कहा गया था—

"A Central executive authority fully qualified with power to nominate candidates against reserved vacancies should be established. In addition to services, this authority should be in general charge of proper implementation of the entire programme."

सभापति महोदय, जब हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ था और जब हमारे पुरुषार्थी भाई पाकि-

स्तान से यहां आये, तो उन के रोजगार की समस्या पैदा हुई, उस समस्या को हल करने के लिये इसी सरकार ने एक ट्रांसफर-ब्यूरो का निर्माण किया। ट्रांसफर ब्यूरो में हर वह व्यक्ति जो नौकरी चाहता था, उस का नाम रजिस्टर किया गया और उस ब्यूरो को यह अधिकार था कि जिस क्वालीफिकेशन का आदमी है और जहां उस की जरूरत है, वहां नौ मिनट कर के उस को भेज दिया जाता था। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से यह चाहते हैं कि सर्विसिज के ग्रन्डर इन लोगों को पूरा रिप्रोजेन्टेशन मिले तो कम से कम ट्रांसफर ब्यूरो जैसी कोई संस्था बनायें और इस सेमिनार ने इसे रिकमेण्ड भी किया था। स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस के सम्बन्ध में तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को लिखा भी था, क्योंकि उस समय एक आपत्ति उठाई गई थी कि इन रिकमेन्डेशन्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जायगा। डा० वी० के० श्याम० वी० राव उस समय इस के चेयरमैन थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इनको रद्दी की टोकरी में नहीं पड़ने देंगे, बल्कि मैं प्रयास करूंगा कि ये रिकमेन्डेशन्स इम्प्लीमेंट हों और इसी वजह से उन्होंने प्रधान मंत्री जी से उस समय तमाम चीफ मिनिस्टर्स को पत्र लिखवाया था। पंडित जी ने उस रिपोर्ट को भेजते हुए लिखा था—

"to take personal interest in seeing that complete action follows on these recommendation."

सभापति महोदय, यह 1970 है, मैं जानना चाहता हूँ कि 1964 से अब तक क्या किया गया? मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि समस्या ऐसी है, जिस का समाधान नहीं हो सकता, समाधान हो सकता है। हरिजन उत्थान हो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, बदनीयती है। अभी दिल्ली में ता० 14 को, आप ने पढ़ा होगा, हरिजनों को 1 लाख बीघा

भूमि बांटने का काम शुरू हुआ है। सन 1952 से हम यह नारा सुनते आ रहे थे, क्या आज दिल्ली में भूमि बढ़ गई है या उस को बढ़ा दिया गया है, लेकिन उन की नीयत नहीं थी, जनसंघ प्रशासन ने इस काम को शुरू कर के दिखाया दिया, जब कि पहले की सरकारें इस को नहीं कर पाई।

इसी प्रकार सर्विसिज का मामला है। जनसंघ प्रशासन जब से सत्ता में आया, उस से पहले क्लास 3 के अन्दर साढ़े तीन परसेन्ट से ज्यादा लोग शेडयूल्ड कास्ट के नौकरी में नहीं थे, लेकिन आज उन की परसेन्टेज बढ़ी है और मुझे बताते हुए गर्व होता है कि पिछले दिनों उन्होंने क्लैरीकल ग्रेड का एक टेस्ट लिया, जिस में 100 में से 45 हरिजनों को भरती किया गया, जब कि इस सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया। कारपोरेशन में भी पिछले 2 साल से दूमरे लोगों के लिये नौकरियां बन्द हैं, बैन लगा हुआ है, लेकिन शेडयूल्ड कास्ट का कारपोरेशन में अभी भी रेकूटमेंट हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार अपनी बदनीयती को समाप्त करे, ईमानदारी से इस समस्या को हल करने की कोशिश करे और इन के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दे।

श्री प० सा० बाबूपाल (गंगानगर) : हरिजनों की शोपड़ियां कितनी गिराई, कितने बाहर बँटे हुए हैं ?

श्री रामस्वरूप बिद्यार्थी : सभापति महोदय चूंकि इन्होंने इन्टरप्ट किया है, इस लिये मैं बताना चाहता हूँ कि शोपड़ियों का जो मामला है—जगन्नाथ राव जी यहां पर बैठे हुए हैं—मैंने इन से 16 अप्रैल, 1967 को एक सवाल पूछा था, ये उस वक्त डी० डी० ए० के इन्चार्ज थे—क्या यह सत्य नहीं है कि सर्वे करते हुए मास्टर प्लान में बहुत से ऐसे स्थान देखने में आए, जहां रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने कालोनीज बनाई थीं, लेकिन वहां कोई आबादी

नहीं है ? इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था। तब मैंने पूछा—क्या इस बात का ध्यान रखते हुए आप मास्टर प्लान को अमेण्ड करेंगे ? इन्होंने उत्तर में कहा कि वे इसके लिये तैयार नहीं हैं। अगर यह सरकार मास्टर प्लान में अमेण्डमेंट करे और ऐसी कोशिश करे कि जो लोग जहां आबाद हैं, वहीं पर ट्रिपल स्टोरी या मस्टी स्टोरीज की बिल्डिंग बनाकर आबाद किया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। दिल्ली का जनसंघ प्रशासन इसके लिए तैयार है और इस सरकार को कह भी चुका है, लेकिन यह सरकार तैयार नहीं है।

जहां तक एजुकेशन का मामला है, दिल्ली में जितने भी प्रोफेशनल कालिजिज हैं, उनके अन्दर शेडयूल्ड कास्ट की परसेन्टेज पूरी नहीं है। अभी हाल में ला-कालिज के कुछ लड़के पास आए थे, उसके अन्दर 30 सीटें खाली पड़ी हैं। पिछले साल जो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स एन्ट्रन्स के लिए रखे गए थे, उनको बढ़ा दिया गया है। जो कोटा उनके लिए रिजर्व किया गया है, अगर किसी कारण से वह परसेन्टेज पूरी नहीं होती है और वे दाखिला नहीं ले सकते हैं, तो इस बात में आपको क्या आपत्ति है कि आप एक मैरिट लिस्ट बनायें और उसमें से जो टाप के लड़के हैं, उनको दाखिल कर लें। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय इस बात का उल्लेख करें।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त कर देना चाहता हूँ। जैसा मैंने बताया था—आपकी सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री प्लानिंग कमिशन की लिस्ट में 20 वीं है, बिलकुल नीचे है—आप भी यहां शेडयूल्ड कास्ट हैं। अगर यह मिनिस्ट्री किसी भी चीफ मिनिस्टर को कुछ लिखती है तो कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। वह जानते हैं कि सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर है—कौन परवाह करेगा। अगर यह सरकार चाहती है कि ईमानदारी के साथ हरिजनों का उद्धार हो तो शेडयूल्ड कास्ट कमिशनर का महकमा और

[श्री रामस्वरूप विद्यार्थी]

हरिजन उद्धार के इस महकमे को कैबिनेट सिक्रेटेरियट के साथ मिला दिया जाए और प्रधान मंत्री सीधी इसकी इन्चार्ज हों। अगर प्रधान मंत्री किसी मामले को लेकर किसी चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, आपकी दूसरी मिनिस्ट्रीज भी उस बात को मानेंगी, इस तरह से हरिजनों का काम हो सकता है। इसलिए अगर एक परसेन्ट भी घ्राप करना चाहते हैं, तो इसे प्रधान मंत्री के आधीन कर दें, ताकि हरिजनों का काम हो सके।

SHRI K. M. Koushik (Chanda) : I fully agree with my hon. colleagues when they say that even after two decades of independence the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not considerably improved. But while saying so, I have to submit that it is not really wise to treat the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes on par. In my opinion, the latter are far worse than the former and need greater attention, though I have every respect and sympathy for the Scheduled Castes who also need attention. I say this for the simple reason that in Scheduled Castes have a certain amount of awakening which the others completely lack.

To quote a small instance, a simple villager came to me. He had no place to stop; so he stopped with me. After returning from the court. When I switched on the radio and there was some music. He appeared eager to listen. I asked him whether he was interested in music. He said yes and came near the radio. Same time after the evening news started in Hindi, and it went on repeating the name of Nehru several times. There was no news of Ambedkar and his name was not mentioned. So, After the news was over, he put me this question :

अभी नेहरू जी, नेहरू जी नाम ही आया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं आया ?

16 hrs.

So, I say that the Scheduled Castes have a certain amount of awakening which

is totally wanting in the Scheduled Tribes. Today we have lawyers High Court Judges, Members of the Union Public Service Commission and men in other high places from the Scheduled castes, whereas, I can confidently say that so far as the Scheduled Tribes are concerned, it is all a dream.

The Scheduled Castes are really clever people. They have been utilising all the services and the concessions given by the Government Compared to that, the Scheduled Tribes have not been able to utilise the opportunities and concessions which the Government have been giving them, even though they are very small. So, taking all these things into consideration I say that it is incorrect to put them on par, and I, therefore, submit that the Scheduled Tribes require greater attention than the Scheduled Castes,

In 1952, when Pandit Nehru made an opening speech in the Conference on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes he clearly said :

"The first priority in tribal areas as well as elsewhere in the country must be given to roads and communications. Without that nothing we may do will be effective."

In 1967-68, after the last elections, there was a Conference of the Social Welfare Ministers of all States presided over by Shri Asoka Mehta. Dr. Gadgil, as a Member of the Planning Commission was also there. I was one of the invitees from the Scheduled Tribes areas to that Conference. My Constituency is full of Adivasis. These Adivasis live in far off interior parts of the jungles and on the hill slopes. I gave a clear picture that it is most risky even to reach those places, because I had just finished my election tour and, therefore, I know how difficult it was to reach those places. Even a man heavily insured will have to think twice before going to those places in vehicles, and he would not be sure of returning safely. Not only that, even for ten villages you do not have a single well for drinking water. The scoop out the water on the river beds and that is their drinking water. These are the conditions obtaining even today in the tribale areas. When I described this, Mr. Ashoka Mehta

asked me to see him in the evening. Accordingly when I saw him, and he said he would give Rs. 25 lakhs straightaway, another Rs. 25 lakhs in three months and another Rs. 50 lakhs within the year. He actually sanctioned Rs. 1 crore so that this backward area of the tribal people could be developed, but unfortunately I learn that after some time it was withdrawn by the Government. What should we say of this Government? Should we not say that the Government are not interested in the tribals? Probably they needed money for some other purpose. But there are a hundred and one ways of saving money. They do not want to save money at all. Why should there be replacement of furniture every year in the Minister's houses costing lakhs of rupees? Even this year we have seen replacement of furniture, curtains and other things in each Minister's bungalow costing Rs. 17,000 or Rs. 18,000, to the public purse. About Rs. 40,000 was spent on the Prime Minister's bungalow. Why should Jawahar Jyoti be burnt? It is a huge waste of public fund. Why not all that amount be conserved? If you go to the Rail Bhawan or any other Ministry, there secretaries, Joint Secretaries and Additional Secretaries in hundreds gossiping with each other. That is how the administration has come to be top heavy. There are hundreds of magazines which nobody would ever care to read. So much is wasted on the production of these magazines. Money, thus spent should be saved and conserved so that it could be spent for better purposes. I am fortunate the hon. Minister is here when I am speaking. I request him to consider the matter and tell me why the grant which was given, had been withdrawn and further request him to reallocate.

There are no lands for these tribals to cultivate; they are not factory workers. You will not find the Scheduled Tribe people in factories because of their natural shyness. They are far in the interior. I can say without fear of contradiction that more than 75 per cent of the people have not seen a train at all even today. Some of them would run away even now when they see a man with full clothes or when they see a jeep or car. If anyone doubts what I say, I am prepared to take and show him.

Then there is the question of employment. The latest report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes shows that not a single person was forthcoming to fill the 19 posts reserved for the Scheduled Tribes. As against 133 posts reserved for them in another category, only one is appointed. Even with regard to to class III jobs only nine could be found against 48 reserved posts. This will show the lack of education and the seriousness of of the matter. So the only thing that they fall back upon is agriculture but they have no land. Attempts must be made to see that land is given to them. Unfortunately our Government is too slow. They have taken no pains to see that landless people are given lands. The stage has, now come that land is being forcibly occupied in the "land grab movement." We as a party do do not subscribe to this unlawful and illegle method of grabbing land. All this is the result of Governments inaction and Collousness to the landless.

In Maharashtra they have nationalised the bidi leaves industry. Previously the contractors used to pay royalty and the Rajgonds and Mariagonds who live in the thick of the forest used to pluck the leaves and take it to the contractor who used to pluck the leaves and take it to the contractor who used to pay them at the rates of Rs. 3.50 paise per unit. There is a Harijan Minister in the Maharashtrian Cabinet and after nationalisation he had to be persuaded even to pay Rs. 2.50 per unit, thus resulting in a loss of one rupee per unit to these poor people because of nationalisation. Is it fair in these days of soaring prices? Why does the Ministry deplate their earning? It is his contention that there will be less revenue to the Government if the normal wages are paid to the Tribals and others. Is it not a mere slogan that the Government are interested in the Scheduled Castes and Tribes. If the Tribals are unable to get what they were getting from a private contractor—the normal wages are Rs. 3.50—and if the Government takes that over and gives Re. 1 less, I do not know what they have to say: I do not not know whether the Government are sympathetic or are not sympathetic; it is a matter which you have to decide, but give the tribals a living wage.

With regard to education, I would like

[Shri K. M. Kaushik]

to say a word. They only speak Gondi and they do not know any other language in my area. Unless not recruit Gondi speaking teachers, you can not give education to them. Gondi language, they cannot understand. They cannot understand Marathi or Hindi; they cannot understand any other language except Gondi. Therefore, unless you recruit persons knowing Hindi or Marathi along with Gondi, it is not possible to have any sort of education for these people. Therefore, it is necessary that you should get persons who know this language, the medium through which the tribal people could be contacted in my area otherwise it will be difficult. They do not know Marathi or Hindi. Therefore, unless they know Condi, these teachers are absolutely useless.

There is another point which I wish to make. An effort is being made by certain interested politicians to remove the name of Rajgond from the reservation under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order of 1950. I would request my friends, who have been politically motivated to introduced such a thing, to come with me to visit those places, at my expense. I will take them to those places, because they have not gone to those places at all. They do not go to those areas at all. They have not seen the people there. The people in those areas are still primitive, and the wear only loin-cloth, and even their ladies leave the upper portion of their bodies open. They still have the tribal customs, and live far away in the interior jungles. Now, some people want to remove the name of the Rajgond from the reserved list of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order. There, my humble submission to the hon. Minister is this. I had met the late Mr. Govinda Menon on this connection. He said he would move an amendment and see that these Rajgonds are not removed from the list. I would, therefore, request the hon. Minister to have a correct appraisal of the tribal people after a visit to the area. These Rajgonds and Mariagonds are found in my district and in the Bastar district which are adjacent to each other Tribes. The argument advanced for removal of reservation is that one or two persons from among these communities are ex-zamin-dars and one or two others are ex-Rulers,

so, the whole Rajgond caste is said to have become civilised and assimilated into civilisation. This a strange argument. I would request my friends to visit these areas, and if you are personally satisfied about their position, you can certainly remove them from the list. But having known them so well, I do feel that a great injustice would be perpetrated in respect of them if their reservation from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order is removed.

Lastly, there are so many regiments in the army. There is the Maratha Regiment, the Gorkha Regiment and so on. Why not have an Adivasi Regiment? Give them scope and let the Adivasi people come in. I know at present, under suppression they are really mortally afraid of the police. The tribals are a courageous people; they are not afraid of anything. I know of persons from among them who have put their hand into the mouth of the tiger and saved themselves. They are bold and are not afraid of death. Therefore, why not have an Adivasi Regiment? If people from different areas come in, I think it will enable them to integrate themselves into civilised society. I am just giving this idea to the Government for what it is worth. I hope the Minister will give consideration to it.

श्रीमती मिनीमाता अग्रम बास पुष्प (जंजगीर) : सभापति महोदय, हरिजन आदिवासियों के नाम पर यहां जो बहस चल रही है उस पर आप ने मुझ को बोलने का मौका दिया इस के लिए आप को धन्यवाद।

यहां पर बहुत भाषण चलते हैं अगर आयुक्त की लम्बी चौड़ी किताब पर विचार हो सके इस की सम्भावना कम दीखती है। उन में अच्छी बातें भी हैं लेकिन उन पर ठीक से अमल नहीं होता है। इस लिए उन की उन्नति नहीं होती है। हरिजनों और आदिवासियों की समस्या काफी विकट है फिर भी उन की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है इस से इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु जब तक छुआ छूत के बारे में खास कर कानून में संशोधन न किया जाय और उस का कड़ाई से पालन न किया जाये, साथ

ही जब तक समाज के लोग और उन लोगों से सहानुभूति तथा प्यार करने वाले लोग उन के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हरिजनों की उन्नति होने की सम्भावना नहीं है। देश में एक कौम को कमजोर बना कर रख देने से कभी भी काम नहीं चलेगा और देश की भी उन्नति नहीं हो सकेगी। अतः मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि पहले छुआ छूत की प्रथा को हटाया जाय। उस को किस तरह से हटाया जाये इस का हल सरकार निकाले। गांवों में हमें देखने को मिलता है कि कितनी ही शासन हरिजनों और आदिवासियों को सुविधा दे, लेकिन सबको एक चिढ़ हो गई है और वह छुआ छूत को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। जो उन लोगों के साथ सहानुभूति रखने वाले हैं, जो पुराने लोग हैं, गांधीजी के विचारों को मानने वाले लोग हैं, वह जरूर उन को मदद करना चाहते हैं लेकिन जो नये लोग पैदा हो रहे हैं, जिन की भावनायें बिरोधाभास की धोर बढ़ रही हैं, उन लोगों ने छुआ छूत को बढ़ावा दिया है और हरिजनों का जीना मुश्किल हो रहा है।

आप आये दिन पेपर्स में पढ़ते होंगे कि हर एक प्रदेश में हरिजनों की हत्या होना तो एक मामूली बात हो गई है। जब कभी हरिजनों की हत्या होती है तब शासन को उस की कड़ाई से जांच करनी चाहिये और जहाँ हत्याएं ज्यादा होती हैं वहां राज्य का शासन उस को सम्भाल नहीं पा रहा है। इस लिये केन्द्रीय शासन वहां अपनी पुलिस रखें, अपने धाने कायम करे। इस तरह की व्यवस्था किये बिना हरिजनों की रक्षा होना सम्भव नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक छुआ छूत रहेगी तब हरिजनों का कल्याण होना सम्भव नहीं है। शासन थोड़ी सी सुविधा देता है पढ़ाई और खेती बगैरह में लेकिन उस से हरिजनों की तरक्की हो सकेगी ऐसी सम्भावना मुझ को

नहीं दीख रही है।

आप छात्र वृत्तियों को ही देख लीजिए। जैसा मुझ से पूर्व बकता ने कहा, सभी लोगों की मासिक पेंशन तक में वृद्धि हो गई है परन्तु छात्र वृत्ति वही 6 रुपया मिल रही है। हाई स्कूलों के छात्रों को भी 15 रु० मिल रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब सभी क्षेत्रों में आज तरक्की हो रही है तब केवल हरिजनों की छात्र वृत्ति में तरक्की क्यों नहीं हो रही है। इस के लिए जिम्मेदार सरकार है। जब तक छात्र-वृत्ति में वृद्धि नहीं होगी तब तक हरिजन और आदिवासी बच्चे पढ़ने में असमर्थ रहेंगे क्योंकि वह गांवों में रहते हैं और उन को कभी अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते, अच्छा खाना नहीं मिलता। जो छात्रवृत्ति 6 रु० मासिक की मिलती है अगर उस में किसी बच्चे को कोई अच्छी चीज खाने का कभी शोक लगे तो वह उस को भी पूरा नहीं कर सकता। इस लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगी कि उन की छात्र-वृत्ति में बढ़ोतरी की जाए।

बिद्याधियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उस में से भी आधी तो मास्टर ले लेते हैं। मेरे पास कई प्रार्थना पत्र आये हैं लड़कों के जिन में लिखा है कि उन को छात्रवृत्ति दी ही नहीं गई है। अगर दी भी गई है तो उस में से आधी मिली है क्योंकि मास्टर कहना है कि इतने प्रतिशत हम को दो तब हम तुम्हारी छात्रवृत्ति दिलवा सकते हैं। ऐसी हालत में हरिजन बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे, यह मैं समझ नहीं पा रही हूँ। यदि इस छात्रवृत्ति का लालच शासन ने न दिया होता तो हो सकता है कि कुछ प्रतिशत लड़के अपनी हिम्मत से पढ़ने की कोशिश करते। किन्तु आज छात्र सोचते हैं कि छात्र-वृत्ति हमें मिलेगी तब हम अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। कहीं पर छात्रवृत्ति का आधे से ज्यादा भाग कर्मचारी और शिक्षक ले लेते हैं। आधा कहीं जा कर बिद्यार्थी बच्चों को

[श्रीमती मिनी माता अगम दास गुरु]
मिलता है। आप दुनिया भर की कमेटियां बना बैठे हैं। आयुक्त के दफ्तर में जा कर आप देखें कि वहां क्या काम होता है। ये लोग प्रदेश प्रदेश में घूम कर, जगह जगह जा कर रिपोर्ट देते हैं लेकिन उन रिपोर्टों में जो सिफारिशें की गई होती हैं, जो सुभाव दिये गए होते हैं, उनको किस हद तक लागू किया जाता है। यह सोचने की बात है। वह बहुत बड़ा दफ्तर है, बहुत से कर्मचारी वहां काम करते हैं, बहुत जगह जा कर वे इनवैस्टीगेशंस करते हैं और उसके आधार पर वे सिफारिशें करते हैं, रिपोर्ट देते हैं परन्तु शासन किस तरह से उनको लागू करता है, किस तरह से उन पर भ्रमल करता है, इसकी मैं आज तक भी समझ नहीं पाई हूँ। उन पर भ्रमल बहुत ही कम होता है। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो सिफारिशें की जाएं उन पर अमल करने की भी कोशिश होनी चाहिए। आप हरिजनों और आदिवासियों पर जो खर्च करते हैं, मैं मानती हूँ कि आप उसको बढ़ाते गए हैं। तमाम पंचवर्षीय योजनाओं में हरिजनों पर खर्च होने वाली राशि में आप थोड़ी बढ़ोतरी करते रहे हैं और उनके लिए सुविधाओं में वृद्धि करते गए हैं। लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी आज 23 बरस में हरिजनों तथा आदिवासियों की दशा वही की वही है। इस कारण से शासन बदनाम होता जा रहा है। जिस तरह से क्रिस्चियन मिशनरीज काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने मिशन की स्थापना कर रखी है, उसी तरह का मिशन आप भी अगर बना कर काम करें तो इनकी दशा बहुत जल्दी सुधर जाएगी। जिस भावना से वे काम करते हैं, उसी भावना से आपको भी काम करना चाहिये। कमेटियां बना कर और रिपोर्ट प्राप्त करके कुछ नहीं आज तक हुआ है और न ही आगे होगा। सब घरी की घरी रह जाती है। रिपोर्टों पर जब बहस होती है तब वे भी जो स्वयं हरिजन होते हैं और वे भी जो

उनके साथ सहानुभूति रखते हैं बोल लेते हैं और कह देते हैं कि हरिजनों और आदिवासियों को ये सुविधायें दी जाएं। कह देने मात्र से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो दिखावे के लिए इस तरह की बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है मौसी रोय गर पोटार। बेटी जब बिदा होती है तो मां बिदाई के समय रोती है लेकिन जो मौसी होती है वह जबदस्तती झांखों पर धूक लगा कर राती है। उसको उतना प्रेम तो होता नहीं है लेकिन दिखावे के लिए वह इस तरह से झांखों पर धूक लगा कर रोती है। उसी तरह से हाउस में तो हरिजनों और आदिवासियों के लिए कुछ लोग हैं जो बोल देंगे और कह भी देंगे कि छुआछूत एक कलंक है और इसको मिटाया जाना चाहिये लेकिन इसको मिटाने के लिए वे कितना सहयोग देते हैं, कितना काम करते हैं यह देखने वाली बात है। उनको अपने दिल से पूछना चाहिए कि वे छुआछूत को मिटाने के कितनी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

समय बहुत गुजर गया है। अब हरिजनों और आदिवासियों में शक्ति नहीं रह गई है कि वे और अधिक बरदाश्त कर सकें। उन लोगों में कई प्रकार की शिथिलताएं आ गई हैं, कमजोरियां आ गई हैं। जो भी उनको बरगलाता है, उसके साथ वे हों जाते हैं, उसी का साथ देना शुरू कर देते हैं। वे थक गए हैं। उनकी तरक्की नहीं हुई है। देहातों में जाकर देखें तो आपको आज भी वही भूल और वही नंगापन दिखाई देगा। वहां क्रिस्चियन मिशनरीज अपने ध्येय में सफल हो रहे हैं। अगर वे अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं तो क्या कारण है कि शासन सफल नहीं हो सकता है। मिशन समझ कर इस काम को किया जाना चाहिये। हरिजनों ही पड़ाई, लिखाई, उनके वास्ते खेती की जमीन आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्रिस्चियन मिशनरीज की तरफ वे क्यों आकर्षित होते हैं? उनके पास कम से कम

इनको देने के लिए प्रेम तो होता है। यहां तो प्रेम के दो शब्द भी नहीं कहे जाते हैं। सबएँ हिन्दू जो हैं वे हरिजनों को अपने से दूर रखते हैं। अगर कोई सबएँ हिन्दू छू जाता है तो जा कर नहाता है। कोर्ट का चपड़ासी जो ब्राह्मण अगर हुआ तो अगर चमार या मोची से उसकी धोती छू जाती है तो घर जा कर नहाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी करता है और माथे पर त्रिपुंड उसके लगा होता है तो वह जो पेट्टी बांधे होता है, वह भी तो चमड़े की होती है और उसको बांधे बांधे ही वह पानी पी लेता है। उसका उसको कोई परहेज नहीं है। उससे उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। कमेटी वर्गएँ के चक्कर में आप न पड़ें। हमारे वास्ते आप एक मिशन की स्थापना करें जो हमारी सुविधाओं की ओर ध्यान दे और उसी तरह से वह काम करे जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं।

मैं अपने क्षेत्र में गई हूँ। चार साल से वहाँ पर अकाल की स्थिति है। वहाँ मुझे क्रिश्चियन मिशनरीज को देखने का मौका मिला है। चार जगह ये मिशनरीज काम कर रहे हैं। दस हज़ार हरिजनों, आदिवासियों और गरीब मजदूरों को इन्होंने काम पर लगा रखा है। वहाँ लोग ईसाई होने तक के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्यों आप धर्म परिवर्तन करते हो तो उन्होंने कहा कि हम भूखों मर रहे हैं, रोटी खाने को नहीं मिलती है, क्या करें। मैंने कहा कि आप मजदूरी तो कर ही रहे हैं और आपको पैसा भी मिल रहा है फिर धर्म परिवर्तन क्यों करते हो। उन्होंने कहा कि गिरजाघर जाएंगे तभी मजदूरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तीन बार मैं गई हूँ और उनको समझाया है। किन्तु वे कहते हैं कि जब तक हम को मजदूरी देते हैं तब तक हम जाएंगे गिरजाघर में और हमारा धर्म बचे या न बचे, इसकी हमें चिन्ता नहीं है। अगर हम भूखों मरेंगे तो धर्म हमें

बचा नहीं सकेगा। हमें भूखों तो नहीं मरना है। आप हरिजन और अधिक बरदास्त करने वाले नहीं हैं। जब तक आप हरिजनों और आदिवासियों के लिए मिशन बना कर उनकी तरक्की और उन्नति के काम नहीं करेंगे तब तक उनकी उन्नति और तरक्की होने वाली नहीं है। आप ने सुविधायें तो दे रखी हैं लेकिन जो अफसर लोग हैं वे इन से बहुत चिढ़े हुए हैं। वे कहते हैं कि ये सरकार के दामाद हैं। इनको कब तक समाज इस तरह से पालेगा ? मैं चाहती हूँ कि आप इनकी तरफ समुचित ध्यान दें। मैं यह भी चाहूँगी कि राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के पास आदिवासी और हरिजन विभाग होना चाहिये। यहां केन्द्र में भी यह विभाग प्रधान मंत्री के हाथ में होना चाहिये। मैं उदाहरण देती हूँ। चार साल की रिपोर्टें एक साथ संसद में पेश हुई हैं और उन पर विचार हो रहा है। यह उपेक्षा वृत्ति अगर यह विभाग प्रधान मंत्री के पास आ जाएगी तो नहीं बरती जा सकेगी। साथ ही अमल भी इस पर कितना होगा, मैं नहीं जानती। वह भी मेरी समझ के बाहर की बात है।

छात्रावासों की भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। हर एक जिले में हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए आज तक भी एक एक छात्रावास नहीं बन सका है। छात्रावासों में छात्रावास को दूर करने के लिए सभी जातियों के जो गरीब लड़के होते हैं, रखे जाने चाहिए। हरिजनों और आदिवासियों को छोड़ कर और भी बहुत से गरीब बच्चे होते हैं जिन को बे पढ़ा नहीं सकते हैं। इस वास्ते हरिजनों के छात्रावासों में 25 प्रतिशत सबर्गण लोगों के बच्चे जो गरीब हों, रखे जाएँ और सबर्गण के होस्टलों में पच्चीस प्रतिशत हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों को रखा जाए। इससे जो मनोमालिन्य है, वह मिटेगा और विद्यार्थी

[श्रीमती मिनीमाता अग्रम दास गुरू]

जीवन में वे एक दूसरे के नजदीक आएंगे। इस तरह से छुआछूत को मिटाने में आपको सहायता मिलेगी। आज तक प्रत्येक जिले में हरिजनों के बास्ते एक एक छात्रावास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इन छात्रावासों की कमी सर्वत्र अनुभव की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन ने तीस हरिजन छात्रावास खोलने की कोशिश की है। मैंने जोर लगा कर उन में से पांच लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने का आग्रह किया था जिस को मान लिया गया है। लेकिन जुलाई और अगस्त माह तक इन छात्रावासों में एक लड़की भी प्रवेश नहीं कर सकी है। कारण यह है कि ये बस्ती क बीच में हैं, वहां पानी की कोई सुविधा नहीं है और न ही लड़कियां वहां रह कर सुरक्षित अनुभव करती हैं। इस बास्ते कोई भी मां बाप अपनी बच्चियों को वहां भेजने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अनुरोध है कि हर जिले में एक छात्रावास लड़कियों के लिए और एक छात्रावास लड़कों के लिए खोला जाना चाहिए। इन में कम में कम, सी सी सीटों का होना आवश्यक है। कुछ निजी संस्थायें भी हैं जो छात्रावास चला रही हैं। इसको उन्होंने दुकानदारा बना रखा है, रोजी रोटी का सवाल भी उसके साथ जोड़ रखा है। निजी संस्थायें इनको ईमानदारी से नहीं चला सकती हैं। इस बास्ते हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक लड़कों और एक लड़कियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करनी चाहिये।

भूमि वितरण का आन्दोलन भी चल रहा है। उधर भूमि को हड़पने का आन्दोलन भी चलाया जा रहा है। बड़ा जलूस बना कर भूमि पर कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। अगर इस तरह से किसी कि भूमि पर कब्जा भी इन्होंने कर लिया तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस तरह से उस कब्जे को बनाए रखा

जा सकेगा। जमीन में जा कर हल चला दिया और जलूस वापिस चला गया तो बाद में कैसे उस भूमि पर कब्जा करके रखा जाएगा। घर गोसाइयों ला परोसी डरवावे। यह एक छत्तीसगढ़ी की कहावत है। भूमि हमारी है, हम आदिवासी और हरिजन जन्म से ही भूमि के मालिक रहे हैं। अब जिन की भूमि है वही आप से भूमि मांगें यह कितने शर्म की बात है। जिस भूमि को दस साल पहले दे दिया गया था वहां भी देखा गया है कि, सबणों ने, ठाकुरों, ब्राह्मणों ने उस भूमि पर इन लोगों को कब्जा करने नहीं दिया है। जहां कब्जा किया भी है, वहां से भी इनको निकाल बाहर किया गया है। अब इस भूमि हड़पो आन्दोलन से कैसे हरिजनों और आदिवासियों को भूमि प्राप्त हो जाएगी, यह मेरी समझ में बात नहीं आई है। ये जा कर वहां हल चलवा देंगे और वापिस चले जाएंगे। अब जो हरिजन या आदिवासी वहां बैठ जाएंगे उनको मार बाहर किया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। किस तरह से हरिजनों को आप भूमि दिलाएंगे? आज भी दो दो और तीन तीन हजार एकड़ भूमि जमींदारों के पास है। एस० बी० डी० के श्री गोविन्द नारायण सिंह, जो कि मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास दो हजार एकड़ भूमि है। वह उदारता से हरिजनों और आदिवासियों को जमीन दें न।... (व्यवधान)... इन लोगों का भूमि हड़पो आन्दोलन तो ठीक है, लेकिन उस से हरिजनों और आदिवासियों को जमीन कैसे मिल पायेगी? इन्होंने किसी जमीन पर हल चला दिया और चले गये, लेकिन जिस हरिजन या आदिवासी को वह जमीन देगे, दूसरे दिन उस की हत्या हो जाएगी। जिस ठाकुर, ब्राह्मण या जमींदार की वह जमीन है, वह उस जमीन पर हरिजन या आदिवासी का कब्जा नहीं होने देगा। मैं तो भुक्त-भोगी हूँ। हम ने पचास हरिजन आदिवासियों को जमीन दिलाई, लेकिन आज तक वे उस पर कब्जा नहीं कर सके हैं,

क्लेक्टर द्वारा पट्टा देने पर भी कब्जा नहीं कर सके हैं। वहाँ पर पुलिस आई और चली गई। फिर उन लोगों को लाठी मार कर भगा दिया गया।... (व्यवधान)... यहाँ भूमि दिलाने की बात कहना एक बात है, लेकिन उन लोगों को कब्जा दिलाना दूसरी बात है। माननीय सदस्य उन को कब्जा दिलाएं। जिन हरिजनों और आदिवासियों को जमीन मिल गई है, उन को कब्जा दिलाएं। मैं इन की योजना से सहमत हूँ। जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो अदमी लूट कर खाता है। लेकिन मैं यह समझ नहीं सकी हूँ कि माननीय सदस्य किस प्रकार हरिजन आदिवासियों को कब्जा दिलायेंगे।... (व्यवधान)... माननीय सदस्य हरिजन-आदिवासियों की हत्याएँ कराएँ सरकार को इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहिए। अभी तक कई प्रदेशों में लैंड सीलिंग नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में कानून बन गया है, लेकिन पेट में जो चार महीने का बच्चा है, उस के नाम जमीन दिखा दी जाती है। इस हालत में हरिजन आदिवासियों को जमीन कैसे मिलेगी? इस आन्दोलन से तो और हरिजन आदिवासी मरेंगे। मैं इस आन्दोलन के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन हरिजन आदिवासियों को जमीन दिलाने में, उस पर उन का कब्जा दिलाने में, ये आन्दोलनकारी कैसे काम याब होंगे, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। शासन को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि प्रत्येक परिवार इतनी जमीन रख सकता है। बाकी जमीन को कानूनन हरिजन-आदिवासियों को दे दिया जाये। तभी वह जमीन उन की हो सकेगी, वरना नहीं।

यह निश्चित जानिये कि इस आन्दोलन से और हरिजनों और आदिवासियों की हत्याएँ होंगी। मैं शासन ने अनुरोध करूँगी कि जिस प्रदेश या इलाके में हरिजनों और आदिवासियों की हत्याएँ हो रही हैं, उस में केन्द्र की ही

पुलिस बैठे और केन्द्र के ही धाने बनें। तभी हरिजन आदिवासियों का कल्याण होगा, वरना नहीं।

श्री शिवकुमार शास्त्री (धरलीगढ़) : सभापति महोदय, संस्कृत साहित्य में हमने एक प्रसंग पढ़ा कि एक राजा ने अपने दरबार के कवियों को दरिद्रता का वर्णन करने के लिए एक समस्या दी। राजा स्वयं भी कवि था। उसने भी उस समस्या की पूर्ति की। जब सब कवियों ने अपनी रचनाएँ सामने रखीं और वे एक निर्णायक को दी गई कि गरीबी और दरिद्रता का सब से बढ़िया वर्णन किस ने किया है, तो जो राजा था, उसका वर्णन सर्वश्रेष्ठ माना गया।

यही स्थिति इस सदन में भी है। जब हरिजनों, गरीबों, और मजदूरों के उद्धार की बात कही जाती है, तब मैं यहाँ भी वही दृश्य देखता हूँ। जिनका गरीबी से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो मजदूर के दुख और दर्द को नहीं जानते हैं, जिनके सिपेट की आग कभी नहीं बुझती है, जो कार के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते, वे मजदूर के लिए आँसू बहाते हैं। यही बात हरिजनों के उद्धार के सम्बन्ध में भी है। जिन को परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वे कल्पना शक्ति के आधार पर, कल्पनाओं के परों पर उड़कर इन समस्याओं का वर्णन करते हैं और उसी प्रकार से उनका उद्धार करना चाहते हैं।

"बाल बुनियाँ की तुम्हें महसूस हो, दुस्वार है, यह जमी तेजो से चलती है, मगर हिलती नहीं।" समस्या का समाधान तो तब होगा, जब हम उसका ठीक प्रकार से विश्लेषण करें।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीच का जमाना इस प्रकार की अविद्या और जहालत का था। कि कुछ लोग समाज में ऐसे सिद्धांत

[श्री शिव कुमार शास्त्री]

व्यवहार में ले आए, जिनको समझ और बुद्धि से कोई ताल मेल नहीं है। जरा विचार कीजिये कि जो आदमी गन्दगी फैलाये, वह ऊँचा हो गया और जो गन्दगी को साफ करदे, वह नीच हो गया। घोबी इसलिए नीच है कि वह मैले कपड़े धो देता है और स्वर्ण कहलाने वाले इसलिए ऊँचे हैं कि वे कपड़े को मैला कर बेते हैं। जो शौचालय, टट्टी, में जाकर गन्दगी डाल देता है, वह तो ऊँचा हो गया और मेहतर इस लिए नीच कहलाया कि उसने गन्दगी को साफ कर दिया।

जहाँ तक बुद्धि और धर्म शास्त्र की मर्यादा का सम्बन्ध है, उसमें अप्सृश्य और छूआछूत नाम मात्र भी नहीं हैं। और गन्दगी भी नहीं है। बीच के समय में न जाने कौन औंधी खोपड़ी के लोग आए, जिन्होंने इसकी रचना की। यह बड़ी बुद्धिसंगत बात है कि जो चीज मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से करता है, वही चीज उसी प्रकार से समाज में भी लागू होनी चाहिए।

हम मस्तिष्क से सोचने का काम करते हैं। हम हाथों से अपने शरीर के कष्ट का निवारण करते हैं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। पेट में जाकर खुराक रस और रक्त बनकर जिस्म के एक एक हिस्से में बट जाती है। हमारे नीचे का भाग जो पैर हैं, वे शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए जहाँ कहीं जाना होता है, उसको लेकर चले जाते हैं। जिस तरह से मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए शरीर का बटवारा किया हुआ है, कुदरती और ईश्वरीय व्यवस्था के तौर पर वह स्थिति समाज में भी काम के बंटवारे की रहनी चाहिए। जो अविद्या और अज्ञान से लड़े, जो अन्धकार को दूर करने का काम करें, उनका समाज के शरीर में वह स्थान है, जो हमारे शरीर में मस्तिष्क का है। उसी प्रकार जो दूनियाँ में अन्याय और

अत्याचार को मिटाने के लिए आगे बढ़ें, चाहे वे पुलिस में हों या फौज में, उनका समाज में स्थान है, जो हमारे शरीर में हाथों का है। उसी तरह अभाव और कमी को दूर करने के लिए, चाहे कारखानों के उत्पादन के द्वारा और चाहे कृषि के उत्पादन के द्वारा, जो जनता की आवश्यकता की पूर्ति करें, उनका समाज में वही स्थान है, जो हमारे शरीर में पेट का है। जो परिश्रम और मेहनत के द्वारा जहाँ कहीं भी समाज को ले जाने की सेवा करें, उनका समाज में वह स्थान है, जो हमारे शरीर में पैरों का है।

लेकिन इसमें ऊँच और नीच की कोई भावना नहीं है। अगर पैर में काँटा लगता है, तो आँखों में से आंसू निकलते हैं। देहात में हम ने पशु चराने वालों को देखा है, कि अगर पैर में काँटा लग गया, तो सुई या कांटे से उसको निकालने की कोशिश की और काँटा थोड़ा सा ऊपर ऊभर आया, तो दाँत से कांटे को खींचा जाता है। वहाँ ऊँच और नीच का प्रश्न नहीं है।

ठीक इसी प्रकार की फीलिंग और अनुभूति सारे समाज में रहनी चाहिये। इसमें ऊँच और नीच का प्रश्न नहीं होना चाहिए। वह तो काम का विभाजन है, और वह व्यवस्थापूर्वक, बुद्धिपूर्वक और योग्यतापूर्वक किया गया है। उसी के आधार पर समाज चल सकता है।

हम प्रतिदिन यह देखते हैं कि जो काम मेहतर करता है, वही काम हममें से हरेक आदमी दिन में एक या दो बार, और अगर जुलाब लग जाए तो, तो इससे भी ज्यादा, करता है। हम गन्दगी को साफ करके हाथ को साफ कर लेते हैं। आजकल के बाबुओं के खाने की पद्धति को तो छोड़ दीजिए, लेकिन पुराने लोगों का तरीका यह है कि दाँयें हाथ से

हम खाना प्रारम्भ करते हैं और जिस बायें हाथ ने मेहतर का काम किया था, उस सेवा के बदले में उसको इतना आनर और इज्जत दी जाती है कि जो खाना शुद्ध रखा हुआ है, उसको बायां हाथ परोस परोस कर दूसरे को देता है। इसमें छुआछूत की बात नहीं है।

भ्रगर बिच्छू को अछूत माना जाए, तो समझ में आता है। कोई उसको हाथ लगाकर देखे, तो पता चल जाए। सांप को अछूत माना तो ठीक है। लेकिन एक हमारी जैसी आकृति वाला मनुष्य अछूत समझ लिया जाय, इससे अधिक मनुष्यता का निरादर नहीं हो सकता। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि विशद रूप से वर्ण व्यवस्था में भी इन सब चीजों का समावेश था। लेकिन बीच के समय में अविद्या और जहालत के समय में इस प्रकार की चीजें बिगड़ कर दूर हो गईं। तो इस समस्या का बहुत बढ़िया समाधान तो वही था कि जो स्वामी दयानन्द ने बताया था कि बीच के समय में जों ये बुरी बातें आ गई हैं उन्हें साफ कर दिया जाय। यह जो हरिजन के नाम पर एक अलाहिदा बिरादरी खड़ी हो गई उसकी आवश्यकता नहीं भी रहती। अब डा० अम्बेडकर जैसा विधि का विद्वान, उसको हरिजन कहना किस तरह उचित है? पुरानी व्यवस्था जो शास्त्रों की है, शास्त्रीय मर्यादा के तौर पर उसमें उसको ब्राह्मण का हक मिलना चाहिए। और वही दर्जा उसे देना चाहिए। यह हरिजन के नाम पर जो एक अलाहिदा वर्ग हो गया, हमने बेझा है कि चाहे कितनी भी बात उनके हित की कही जाय उसके मन में भी यही विद्वेष की भावना रहती है कि उन्होंने हमको बहुत सताया है, हम भी अब उसका बदला निकालेंगे तो समाज में फूट और दरार तो वैसे की वैसे ही चली आ रही है जिसको आप दूर करना चाहते हैं। वह हमारा लक्ष्य कहीं पूरा हुआ? लक्ष्य तो यही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब को योग्यतानुसार ऊपर जाने का मौका हो। यही बात शादी और सम्बन्ध की भी है। विवाह के

लिए गुण, कर्म, और स्वभाव की बात देखी जाती है। उसमें बिरादरी की बात कहीं आती है? जिसका जिसके साथ गुण, कर्म, स्वभाव मिलता है उनको जापस में विवाह का अधिकार है, शास्त्र इस बात की आज्ञा देता है। वह इस समय भी हो सकता है।

अब चूँकि समय नहीं है, मैं कुछ अपने सुभाव देना चाहता हूँ। अभी मेरे — एक भाई ने बड़ी उपयोगी बात कही थी कि भ्रगर भारत में हम एकता लाना चाहते हैं और इस मनमुटाब को दूर करना चाहते हैं तो यह पृथक वर्ग जो बनाकर चल रहे हैं कि यह हरिजन छात्रावास है, यह फलां चीज है अलाहिदा से हरिजन नाम करके गिनाना ही एक इस तरह की भावना पैदा करता है जो ठीक नहीं है। उसके बजाय एक ही छात्रावास में से उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए और घुलमिलकर चलना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात जो बहुत आवश्यक है वह मैं कहना चाहता हूँ कि—हरिजन के नाम पर भी हरिजनों में कुछ ही वर्ग ऐसे हैं जो लाभ उठा रहे हैं। तो शरीर तो स्वस्थ मनुष्य का तभी होगा जब ऊपर से नीचे तक प्रत्येक अंग प्रत्यंग काम करने में समर्थ हो। हरिजनों की उन्नति और उत्थान भी तभी होगा जब जो उसमें परिगणित कर दिये गए हैं, उन सब पर आपकी दृष्टि जाय, सदा प्रजासंश्र-वाद में यह होता है कि जो ज्यादा शोर मचाता है वह ज्यादा मुनाफे में रहता है चाहे पहले से कितने मुनाफे में वह क्यों न हो और जो कि कुछ नहीं कहता है, जिसको योग्यता नहीं है अपनी बात कहने की, तो वह उस लाभ से वंचित रहता है। तो मेरा कहना यह है कि इन सब पर दृष्टि डाली जाय, सबके ही विकास का पूरा ध्यान रखा जाय। बाहिक रूप में तो बहुत हो चुका, अब क्रियात्मक रूप में हरिजनों के उद्धार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समय की कमी से मैं इन्हीं बड़े-बड़े शब्दों में अपने विचार व्यक्त करता हूँ।

श्री अम्बुल गनी डार (गुड़गांव) : सभापति महोदय, मुझे इस बात पर शर्म आती है कि यह सरकार जो गांधी जी का बड़ा ही प्रचार करती है, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज जो यह डिवेट है यह 20 घंटे की बयों रखी गई ? आखिर यह उनके माथे पर बहुत बड़ा कलंक का टीका है और हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखते हैं वह किसी को माफ नहीं करते। वह कहेंगे कि हुकूमत का कौल और फॉन बिलकुल सुकृतलफ था ; इस लिए लोग खफ हो हुये ।

नज्ञा पिलाकर गिराना तो सबको आता है ।

मजा तो जब है कि गिरतों को धांढ ले सकी ॥

तीनों रिपोर्टों को मैंने देखा, उसके बाद जो आई और उससे पहले जो आई, जबसे मैं पार्लियामेंट में आया, मैंने इन रिपोर्टों को देखा। उसमें बड़े साफतौर पर कहा गया है, लेकिन मैं इस गवर्नमेंट को मुबारक भी देता हूँ कि बड़े ही साफ तौर पर उसमें कितना ही उसकी टीका टिप्पणी हो, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। चौधरी रणधीर सिंह जी नाराज हो जायेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मजाल क्या है कि कोई जाट चारपाई पर बैठे हो और कोई रोगी हरिजन भी सामने चारपाई पर बैठ जाय। चारपाई पर मुकाबले में नहीं बैठ सकता। चौधरी साहब ने कहा कि बेचारों के कुं भी बनते हैं तो ऐसी जगह कि मकानों के साथ वह भी हूब जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई जगह नहीं जहां उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट की टीका-टिप्पणी न की गई हो। तीनों रिपोर्टों को ले लीजिए, तालीम ले लीजिए, मंदिरों को ले लीजिये, खाने पीने की जगह को ले लीजिये उनकी इनवसाइड हालत को ले लीजिए, उनकी स्कालरशिप को ले लीजिए, बड़ी बड़ी जगह तो क्या, सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे थे चौधरी रणधीर सिंह। मामूली चंपरासियों में देख लीजिए, उनके लिए जगह नहीं है।

तो सरकार बड़ी हिम्मत वाली है कि सब टीका टिप्पणी सुनती है, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। यह बड़ी जुर्रत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है।

अभी एक भाई ने, जिन्होंने कविता भी पढ़ी, कहा कि कभी भिक्षा मांगने से कोई चीज मिलती है ? हरिजनों को भी भिक्षा मांगने से कोई चीज मिलने वाली नहीं है। ठीक है। हजारों वर्षों से करोड़ों इंसानों के विभाग में यह बात बिठा दी जाए कि वह बिरादरी में बराबर के नहीं हैं, उनका दर्जा कम है, यह एक बहुत बड़ा अन्याय है, पाप है जो उनके विभाग में आज भी बैठा हुआ है। बरना मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ—मौलाना आजाद ने गुवारे खातिर में लिखा है कि एक चिड़िया के बच्चे को, चूजे को वह दाना खिला रहे थे, पर ज्यों ही उसको एहसास हुआ कि मैं उड़ सकता हूँ। वह उनके हाथ से उड़ा और छत पर बैठकर मौलाना आजाद का मजाक उड़ाने लगा। वह फरमाते हैं कि उसने चूँ चूँ करना शुरू किया, कि तुम क्या दाना खिलाओगे, दाना मैं अपनी हिम्मत से खुद खा सकता हूँ। तो रिपोर्ट का कोई बकं लीजिए, जिसमें मज्जमत न की गई हो, जिसमें हुकूमत की बेवफाई का जिक्र न किया गया हो, जिसमें सभा सोसाइटी की बेवफाई का जिक्र न किया गया हो। जिस दिन हरिजन भाइयों को और धादिवासियों को यह एहसास हो जाएगा कि इस देश के हम इसी तरह मालिक हैं जैसे दूसरे भाई मालिक हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह उसी चिड़िया के बच्चे की तरह पेश आएंगे जिसने मजाक उड़ाया मौलाना आजाद का। यह हरिजन भाई जो आज कमजोर हैं, ज्यों ही यह महसूस करेंगे कि यह सारी हुकूमत इनके कंधों पर खड़ी है। धाज जगजीवन राम आंखें फेर लें, इंदिरा की हुकूमत गई। बड़ी सीधी साधी बात है। दूसरी सारी दूनियां को देखिए। काले गोरे की क्या तमीज हो, यहाँ संजीवैया तो इतने खूबमूरत हैं कि दूसरे बड़े-बड़े हिन्दू शर्मां जायें, रणधीर सिंह न शरमाएँ वह बात दूसरी है।

भी रणधीर सिंह (रोहतक) : आपसे कम खूबसूरत हैं ।

श्री अखुल गनी डार : मेरी तो भाई अपनी वीत चुकी । अब बिताओ आप क्योंकि आप को बितानी है, मैं तो बिता चुका । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बिना किसी लाप-लपेट के, जो रिपोर्ट भी आई उसमें बड़ी मेहनत से कमिश्नर साहिब ने रिपोर्ट दी, बड़ी मेहनत से तमाम मजालिम को वह सामने लाए और मैं कई दफा मुसलमानों का कहता हूँ, जब कोई मुझ से कहता है कि इतने लाख कट गए तो मैं कहता हूँ कि हरिजन इनसे ज्यादा कटे । हरिजनों को काटने की जिम्मेदारी किस पर है ? मैं किसी पर नहीं डालता । आप तो मुसलमान को काटने की जिम्मेदारी जनसंघ पर डालते हैं पर मैं नहीं डालता । लेकिन बस्तर के राजा को किसने मारा ? वह आदिवासी था । राजा होना उस का जुर्म नहीं था । उसके दिमाग में यह खुददारी आई थी कि इस हिन्दुस्तान के हम भी उसी तरह मालिक हैं । जैसे हिन्दुस्तान के श्रीर बहून से हिन्दू मालिक है । जिस दिन बगावत का यह ख्याल शिवनारायण के दिमाग में आ गया, जिस दिन एक एक हरिजन भाई बहन के दिमाग में यह ख्याल आया, वह मुल्क में एक इन्कलाब ला देंगे क्योंकि उनके बिना देश चल नहीं सकता । मैं आप से कहता हूँ, आप सबसे बड़े भाई हैं, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है । हिन्दू भाई जो हैं वह इस मुल्क के निजाम को जिस तरह चाहे बदल सकते हैं । उन्होंने हरिजन भाइयों को भी एहसास कराया कि वह हरिजन हैं, वह कमजोर हैं तो उनका फर्ज है कि वह इसको भी पूरा करें । कैसे करें ? कुछ महकमें हैं जो सरकार के अपने हाथ में हैं । जैसे रेलवे की कंटीन है । तमाम जगह कहे कि हरिजन ही खाना बनायेंगे, हरिजन ही खिलायेंगे, जिसको खाना हो जाए, जिसको भूखा मरना हो भूखा मरे । यह तो दीजिए, यह तो आपके

हाथ की बात है । यह पब्लिक सैक्टर है । इसमें न कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है न सवाडिनेट् सर्विसेज सेलेक्शन कमीशन है, न कोई प्राविशियल मामला है । इसमें आप हरिजनों को बड़ी आसानी से रख सकते हैं । वह इतने पढ़े लिखे तो हैं कि आप उन्हें आफिसर बनाकर भेजिए । क्या जरूरत है कि आप आई० ए० एस०, आई० सी० एस० ही भेजें, आप अपने साले के साले के साले के साले को भेजें ? इसके तो आप ही मालिक हैं । मैं सिर्फ सरकार से वह बात कह रहा हूँ जहाँकि उनका अपना अख्यार है, वहाँ तो हरिजनों को एकोमोडेट कर सकते हैं, वहाँ तो दिक्कत की कोई बात नहीं है । पुलिस के मामले में हालांकि स्टेट्स को आपने अधिकार दे रखे हैं, लेकिन कुछ अखिनयारात सेन्टर के पास भी हैं, जैसे बार्डर पुलिस है, इंडस्ट्रीयल पुलिस है, रेलवे की पुलिस है । इनके मामले में सेन्टर को अखिनयारात है, आप इनमें हरिजनों को मौका दीजिए; ताकि उनको अहसास हो कि वे भी इसी मुल्क के रक्बाले हैं ।

मेरे हाथ में यह 8वीं रिपोर्ट है, जो कमेटी आपने बनाई थी, इसमें वह कहते हैं कि कई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है, जो तआवुन देती हो । स्कूलरशिप्स के मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है, कई ऐसी बातें हैं, इसलिए मैं इन्दिरा बहन से कहना चाहता हूँ, पब्लिक सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को मौका दें और कोई भी दुकान जो खाने पीने की हो और सरकार की मदद से खुलने वाली हो उसको अधिक तौर पर नहीं बल्कि पूरे तौर पर हरिजनों को दिया जाये, उसमें हरिजनों को ही रखा जाय ताकि हर मुसलमान, सिख, हिन्दू, ईसाई, जिसके पेट में भूख की आग लगती है, वह वहाँ जाकर आग बुझायेगा और हरिजनों के हाथ का जरूर खायेगा ।

अब रहा मन्दिरों, मस्जिदों और गुफ्दारों का सवाल अल्लामा इकबाल ने कहा है—

[श्री अब्दुल गनी दार]

आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते
नमाज,
किबला रू हो के जमी बोस हुई कोमे
हिजाज ।
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो
अयाज,
न कोई बन्दा रहा न कोई बन्दा
नवाज ।
बन्दाओ साहिबो मुहताजो गनी एक
हुए,
तेरी दरगाह में पहुंचे तो सभी
एक हुए ।

उस की दरगाह में सब एक हैं। मुसलमानों में कोई हरिजन नहीं है, ईसाइयों में कोई हरिजन नहीं है, दुनियावालों में कोई हरिजन नहीं है, तो फिर आप जो सब के नेता रहे हैं, जिन्होंने दुनिया को दीन, धर्म आत्मा, परमात्मा का सबक दिया, आप के यहां हरिजनों का किस्सा क्या है—मेरी समझ में नहीं आता। सभापति जो, जो देश सारी दुनिया को सम्यता सिखाये, उन के यहां उन के ही जिस्म के एक टुकड़े को क्यों इस तरह से अलग रखा जाय कि वह केंसर है। मैं चाहता हूँ कि सरकार के हाथ में जितने भी साधन हैं उन का इस्तेमाल सरकार करे। स्टेशन पर पानी मिलाने का काम हरिजन को दिया जाय, वही पानी पिलाये, वही खाना खिलाये। पब्लिक सेक्टर में उन को मौका दिया जाय, पुलिस में मौका दिया जाय। मैं सूबों के बारे में अर्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो सेंटर सरकार है, इस लिए मैं इंदिरा बहन की सरकार को मुवातिब हो कर कह रहा हूँ—वह जितना अपने बेटे संजय को प्यार

करती हैं, उतना ही हरिजनों को प्यार करें। पब्लिक सेक्टर में अगर वह अपने बेटे को कार बनाने का काम दे सकती है तो किसी हरिजन बेटे को भी दे सकती हैं, इस में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि रुपया सरकार ने लगाया है, घर से नहीं लगना है। 80 परसेंट यह सरकार बे और दूसरी सरकारें दें क्योंकि उन को खुश करने के लिए उन के साथ मिलने के लिए कोई भी मुल्क यह कहेगा कि हम कार बनाने के लिए रुपया लगाने को तैयार हैं, क्योंकि वह प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। तो कम से कम पब्लिक सेक्टर में सब हरिजनों को भरती करें ताकि हरिजन ज्यादा से ज्यादा महसूस करें कि इन्दिरा बहन उन की बात सुनती हैं और चाहती हैं कि हकिकतन हरिजनों की जो मुश्किलत हैं, उन को हल किया जाय।

अगर यह नहीं करते और आप आज के जमाने में, 20वीं सदी में, किसी को हरिजन तसब्बुर करते हैं और हरिजन के दिमाग में यह बात बैठते हैं कि वह हरिजन हैं, तो फिर मेरे बस की बात नहीं है। चाहे मेरे भाई नाराज हो जाये, वे कितने ही प्रोप्रिसिब हों लेफ्ट हों, राइट हों, मुझे इस से बहस नहीं है, वे आज जमीन पर कब्जा करने का रहे हैं, खुदा करे कल वे बजाय जमीनों के असली जगह पर जा बैठे, असली जगह पर कब्जा करें, असली वह है—जहां रणधीर सिंह इतनी मेहनत के बावजूद नहीं पहुंच पाए, तो इतने सीनियर होने के बावजूद भी मिनिस्टर नहीं बन पाये वह जगह है—हुकूमत, अगर वह हुकूमत उन के हाथ में आजाय मेरा मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से है, जिस ने इस सरकार को, जो माइनोरिटी की, अकलियत की सरकार है, सहारा दे रखा है, अगर वे वहां पहुंच गये

तो अपने आप मिटा देगे, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब खत्म हो जायेंगे, न कोई हरिजन रहेगा, न छूत रहेगी न छात रहेगी, सब अपने प्राप खत्म, हो जायेगी। अगर उन में वहां जाने की हिम्मत नहीं है और वे समझते हैं कि हम में हिम्मत नहीं है, तो फिर उन को इतने नारे नहीं लगाने चाहिये। यह इतनी सस्ती बात नहीं है। यूँ ही ज़मीन पर कब्ज़ा कर के अगर वह समझते हैं कि हम हरिजनों को खुश कर लेंगे, तो वे मुंठठी भर हरिजनों को भी खुश नहीं कर पायेंगे मुल्क में ला लेस नेस पैदा कर के वह ज़मीनों की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। मैं अपने नेता डा० राम सुभाष सिंह से अपील करता हूँ कहां गये महाराना प्रताप, जिनकी आप श्रीलाद हैं, कहां गये शिवाजी, कहां गये राजपूत जिन्होंने बड़ी शान से आप को पैदा किया था आज आप के होते हुए इस सोसायटी के एक बहुत बड़े अंग को हरिजन कह कर, अछूत कह कर, उन को परेशान किया जाय। वह कहते हैं—

बसाने नक्शे पाये राहे रवां कुए तमन्ना में, नहीं उठने की ताकत है, क्या करें लाचार बंठे हैं।

आज उन को इस तरह जलीलो-खार किया जा रहा है। मेरे इन भाइयों ने अभी बतलाला कि एक तरफ प्लान मन्ज़ूर करते हैं, दूसरे हाथ से को छीन लेते हैं। एक तरफ रिजर्वेशन करते हैं, दूसरी तरफ उन को भरती नहीं करते हैं। मेरे एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा—पहले में उनका नम्बर 1.6 परसेन्ट है, दूसरे में 2.3 परसेन्ट है, तीसरे में 3 परसेन्ट—इस के माइने क्या है? आप उनको 10 परसेन्ट भी देने के लिये तैयार नहीं हैं अगर आप उनको इतना हक भी देने के लिये तैयार नहीं हैं, तो तैयार हो जाइये, यहां पर झून की नदियां बहेंगी। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे भूखे मरने वाले बाच एण्ड बांड के लोग, पुलिस के लोग, हमारे घरों में सफाई करने वाले लोग उठेंगे उन के

हाथ में तलवार हांगी और अब्दुलगनी की गर्दने होगी। मैं यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द मुल्क के अन्दर रेवोल्यूशन आयेगा और उस रेवोल्यूशन को मुल्क की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। कब तक वह इस जुल्म को बर-दास्त करते रहेंगे—एक वक्त आयेगा जब वह फील करेंगे कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे बगैर दवाई के तड़प कर मर जाते हैं, सफाई न होने की वजह से, निचान की वजह से, मखियों के शिकार होने की वजह से और जैसा रणधीर सिंह ने बताया—देहातों के जो हरिजन हैं, उनकी क्या हालत है—इन चीजों को अब वे बरदास्त नहीं करेंगे। इस सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिये—किसी वक्त 100 फीस दी हरिजन उन के साथ होते थे, लेकिन आज वे उन से क्यों हट रहे थे? बाबू जगजीवन राम कब तक कोहै-हिमालय बन कर खड़े रहेंगे, क्योंकि जग ब्रह्मपुत्र के पानी का बहाव आयेगा, तो वह उस हिमालय, उस पहाड़ी को, उस चट्टान को भी बहा कर ले जायगा और बाबू जी की कोई भी नहीं सुनेगा। अब वह ज़्यादा पागल बनने को तैयार नहीं हैं, ज़्यादा बहुकावे में आने को तैयार नहीं है। इसी लिये मैं कहा करता हूँ—

तमन्नाओं में उलभाया गया हूँ,
खिलौने दे के बहलाया गया हूँ।

हरिजन अब आप की इन बातों में नहीं आयेंगे। शिव नारायण जी यहां बंठे हैं, मैं उन से कहता हूँ—बगावत का झण्डा बुलन्द करो, खुल्लमखुला बुलन्द करो, फांसी पर चढ़ जाओ, जौन आफ् आर्क का रोल प्ले करो अब हरिजन भाई यह कहें कि हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम को कौन रोकने वाला है।

सभापति महोदय, मुसलमानों ने एक एक गलती की थी। बावजूद इस के कि वे 90 फीसदी हिन्दुओं की औलाद है, पहले वह राजपूत थे, लेकिन मुसलमान होने के बाद राजपूत

میں بیانات بٹھادی جلتے کہ وہ برالایا سے
 کے نہیں ہیں ان کا۔ ہر جگہ ہے ایک۔ بھٹی
 ایلے سٹ۔ پاپے حوران کے دامغوں میں
 آج بھی بیٹھا ہوا ہے ورنہ میں آپ سے صاف
 کہنا چاہتا ہوں مولانا آزاد نے غبارِ خاطر میں
 لکھا ہے کہ ابا چوڑیا کے بچے کو۔ چوڑے کو وہ
 دانہ کھلا رہے کھنے پر جو ہے اس کو احساس
 ہوا کہ میں اڑ سکتا ہوں وہ ان کے ہاتھ سے
 اڑا اور چھتہ پر بیٹھ کر مولانا آزاد کا ناق
 اڑانے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے چون چولا
 کرنا شروع کیا کہ تم کیا دانہ کھلاؤ گے دانہ میں پتی
 ہمت سے خود کھا سکتا ہوں۔ تو ریلوے کا کوئی
 درق لیجئے جس میں غارت نہ کی گئی ہو جو میں
 حکومت کی بے ذنی ہکا درنہ کیا گیا ہو۔ جس دن
 ہر جگہ بھٹیوں کو اور آدمی، سیدیوں کو یہ احساس
 ہو جائے گا کہ دیش کے ہم اسی طرح مانا۔ ہم جیسے
 دو سرے بھائی مانا۔ ہیں تو یہ یقین سے کہہ
 سکتا ہوں کہ وہ اسی چوڑیا کے بچے کی طرح پیش
 آئیں گے جس نے مولانا آزاد کا ناق اڑا۔
 یہی ہر جگہ بھائی جو آج کرتے ہیں جو ہی وہ
 محسوس کریں گے کہ ساری حکومت ان کے
 کن حصوں پر کھڑی ہے۔ آج جگہ جگہ آتے لکھیں
 پھر لیں انار کی حکومت گئی۔ بروی سبھی
 رادھی بانستہ دوسری ساری دنیا کو دیکھیے
 کالے گورنر کی کیا تمیز یہ یہاں سبھی یا تہ
 اتنے خوبصورت ہیں کہ دوسرے بڑے بڑے
 ہندو شرمنا جا ہیں۔ ونا جھرتک نہ شرمنا
 وہ بات دوسری ہے

شرمی رہتا ہے سیکھ۔ آپ کو خوبصورت ہیں
 شرمی عبوالعین ڈار۔ میری تو بھائی ۱۶ اپنی
 بہت چینی ہے اب بتاؤ آپ کیونکہ آپ کو بتانی
 ہے۔ میں تو بتا چکا ہوں۔

لیکن میں کہتا ہوں بنا کسی لاکہ لپیٹ
 کے جو رپورٹ بھی آئی اس میں بڑی محنت سے
 کمشنر صاحب نے رپورٹ دی بڑی محنت سے
 تمام مظالم کو وہ سامنے لائے اور میں کوئی دفعہ
 مسلمانوں کو کہتا ہوں جب کوئی محنت کہتا ہے
 کہ اتنے لاکھ کسٹ لائیے میں کہتا ہوں کہ نہ ہر
 ان سے زیادہ کسٹ نہ بجز کسٹ کی کٹنے کی ذمہ
 داری کس پر ہے۔ میں کسی پر نہیں ڈالتا آپ
 کو مسلمانوں کو کٹانے کی ذمہ داری جس سیکھ یہ
 ڈالتے ہیں میں نہیں ڈالتا لیکن بستر کے راجہ
 کو کس نے مارا وہ آدمی داسی تھا راجہ جیو
 کوئی ۱۶ اس کا جرم نہیں تھا اس کے دلش میں یہ
 خود رانی مائی تھی کہ اس ہنہ وستان کے ہم
 کبھی اسی طرح مانا۔ ہیں جیسے ہنہ وستان کے
 اور بہت سے ہنہ و مالک ہیں۔ جس دن بقا
 کا یہ خیال شیونارا س کے دماش میں آگیا جس
 دن ایک ایک۔ ہر جگہ بھائی بہن کے دماش میں
 یہ خیال آیا کہ وہ ملک میں ایک انقلاب لاویں
 گے کیونکہ ان کے بنا دیش نہیں چل سکتا۔ میں
 آپ سے کہتا ہوں آپ سب سے بڑے بھائی
 ہیں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔
 ہنہ و بھائی مجھ میں وہ اس ملک کے نظام کو
 جس طرح چاہیں باطل سکتے ہیں انھوں نے ہر جگہ
 بھٹیوں کی بھی احساس کرایا کہ وہ ہر جگہ ہیں
 وہ کہہ رہے ہیں۔ ان کا فرس ہے کہ وہ اس کو بھی پورا کریں

لیسے کریں۔ یہ کوچنگ کونسل نے جو سرکار کے اپنے پلانے میں ہیں۔ جیسے ریلوے کے کابینوں سے تیار ہونے والے ہونے کہ ہر تہجیز ہی کھانا بنا بیٹھ گئے۔ ہر تہجیز ہی کھلا میں گئے۔ جس کو کھانا ہو کھائے جس کو بیٹھنا ہوتا ہوتا ہو۔ یہ تو زیادتی ہے۔ یہ تو آپ کے ہاتھ کی بات ہے یہ پبلک سیکرٹری اس میں نہ کوئی یہ نہیں پبلک سروس کمیشن ہے اور نہ سب بڈینٹ

سرورسز کمیشن کمیشن ہے نہ کوئی زیادہ پیش معاملہ ہے اس میں آپ ہر تہجیز کو بری آسانی سے رکھ سکتے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے تو ہیں کہ آپ ان کو آجی بنا کر بھیجے، کیا ضرورت ہے کہ آپ آئی۔ اے۔ ایس آئی۔ سی۔ ایس۔ جی بھیجیں آپ اپنے سالے کے سالے کے سالے کو بھیجیں اس کے تو آپ ہی مالک ہیں۔ میں صرف سرکار سے وہ بات کہہ رہا ہوں جہاں کہ ان کا اپنا اختیار ہے وہاں تو ہر تہجیز کو اگر میری ڈیوٹی کر سکتے ہیں وہاں تو وقت کی کوئی بات نہیں ہے یہ لیس کے معاملہ میں حالانکہ سٹیشن کو اپنے ادھکار دے رکھے ہیں لیکن کچھ اختیار ات سفر کے پاس بھی ہیں جیسے لو رڈ پولیس ہے ان اسٹریٹ پولیس ہے ریلوے کی پولیس ہے ان کے معاملہ میں سڑک

اختیار رات ہیں آپ ان میں ہر تہجیز کو موقع دیکھیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بھی اسی ملک کے رکھتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ آٹھویں رپورٹ ہے جو کیلی آپ نے بنائی تھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جو تعداد میں جتنی ہو سکا اسٹپ کے معاملہ میں سزا دی نہیں ہوتی ہے کئی ایسی باتیں ہیں اس لئے میں ان کو نہیں سے کہتا چاہتا ہوں پبلک سیکرٹری میں زیادہ سے زیادہ ہر تہجیز کے موقع دیں اور کوئی

کوئی دکان جو کھانے بیٹھنے کی ہے اور سرکار کی عمارت سے کھلے نہ ملی ہو اس کو ادھکار پر نہیں بلکہ پورے طور پر ہر تہجیز کو دیا جائے اس میں ہر تہجیز کو ہی رکھا جائے تاکہ ہر مسلمان سکھ۔ عیسائی رہیں۔ جس کے بیٹھ میں جو کہ کی آگ لگتی ہے وہ وہاں جا کر آگ بجھائیگا اور ہر تہجیز کے ہاتھ کا ضرور رکھے گا۔

اب رہا ہن۔ روں۔ مسجدوں اور گورنور اوروں کا سوال۔ علامہ اقبال نے کہا ہے۔

آبائے میں راہی میں اگر وقت شمار

قبلہ دو ہونے نہیں بوس ہوگی تویم حجاج ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود دایاز نہ کوئی ہن۔ وہاں کوئی بہت نہ تو از۔ بدہ۔ صاحب دمننا زوغنی ایک ہوئے

تیری درگاہ میں پہنچے تو سمجھی ایک ہوئے۔ اس کی درگاہ میں سب ایک میں مسلمانوں میں کئی

ہر تہجیز نہیں ہے عیادتوں میں کوئی ہر تہجیز نہیں ہے دنیا داروں میں کوئی ہر تہجیز نہیں ہے پھر آپ جو سب کے نبی ہوتے ہیں جھڑپے۔ دنیا کو دین دھرم۔ آزمانا۔ پر ماتما کا سبق دیا آپ کے یہاں ہر تہجیز کا قصہ کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا سچا بتی جی۔ جو دیش ساری دنیا کو سمجھنا سکھائے ان کو یہاں ان کے ہی جرم کے لئے نہ کوئی ہوں اس طرح سے انک رکھا جائے کہ وہ کینس ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے ہاتھ میں جتنے بھی سادھوں ہیں ان کا استعمال سرکار کرے۔ سٹیشن۔ بیڑ پانی پلانے کا کام ہر تہجیز کو دیا جائے وہی پانی پلانے وہی کھانا کھلائے وہ پبلک سیکرٹری ان کو موقع دیا جائے میں صدیوں کے بارے میں عرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ

کہا تھا تو سینئر سٹریٹس کار ہے اس لئے میں ان راہوں کی
سڑکوں کو مخاطب کر رہا ہوں وہ جتنا اپنے بیٹے کے
پیارے کرتی ہیں اتنا ہی ہرزہ خیزوں کو پیار کر میں ایک
سیکر میں اگر وہ اپنے بیٹے کو کار بنانے کا حکم دے سکتی
ہیں تو کسی ہرزہ خیز بیٹے کو بھی دے سکتی ہیں اس میں کوئی
ہرج نہیں ہے گھر سے نہیں لگانا سٹی پر سینٹ
یہ سڑک روکے اور دو سرے سڑکوں میں دیں گے تو ان
کو خوش کرنے کے لئے ان کے ساتھ ملنے کے لئے کوئی
بھلا ملک یہ کہے گا کہ ہم کار بنانے کے لئے روپیہ لگانے
کو تیار ہیں کیونکہ وہ پرائم سٹریٹس کے لئے کم از کم ایک
سیکر میں سب ہرزہ خیزوں کو بھرتی کر دیتا ہے ہرزہ خیزوں
سے زیادہ محسوس کریں کہ ان راہوں کی بائ سٹی
ہیں اور چاہتی ہیں کہ جو مشکلیں ہیں ان کو حل کیا جائے
اگر یہ نہیں کرتے تو آپ آج کے زمانے میں، بسید میں
صدا میں کسی کو ہرزہ خیز تصور کرتے ہیں اور ہرزہ خیزوں کے
دماغ میں یہ بات بٹھانے ہیں کہ وہ ہرزہ خیز ہے تو بھیر
میرے بس کی بات نہیں ہے جا ہے میرے بھائی ناراض
ہو جا میں وہ کہتے ہی بڑا گریو ہوں۔ لیفٹ
ہوں، رائٹ ہوں مجھے اس سے بحث نہیں وہ
آج زمین پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں خدا کے نکل
وہ بجائے زمینوں کے اصلی جگہ پر جا بیٹھیں اصلی
جگہ پر قبضہ کریں اصلی جگہ ہے جہاں رہنا چاہیے
منگتے اتنی محنت کے باوجود نہ پہنچ پائے۔
جو اتنے سفیر ہونے کے باوجود بھی سٹریٹس نہیں بن
پائے وہ حکم ہے حکومت اگر وہ حکمت ان

کے ہاتھ میں آجائے ہمیں اس کا مطلب کیونٹ پارٹی
تہ جس نے اس سڑک کو جو مینٹو رہی ہے
فلپت کی سڑک بہت سہارا دے رکھی ہے اگر وہ
ہالی پہنچ گئے تو آپ ہٹا دیں گے مندر۔ مسجد۔
زرد دارے سب ختم ہو جائیں گے۔ منہ کوئی ہرزہ
ہے گا نہ چھت رہے گی سب اپنے آپ ختم ہو جائے
اگر ان میں وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے اور وہ
مجھے ہیں کہ ہم میں ہمت نہیں ہے تو پھر ان کو

نکالتے لغزے نہیں لگائے نہیں چاہئیں یہ اتنی سستی بات
نہیں ہے یوں ہی زمین پر قبضہ کر کے وہ مجھے ہیں کہ ہم ہرزہ خیزوں
کو خوش کر لیں گے تو وہ سٹی ہرزہ خیزوں کو بھی خوش نہیں
کر پائیں گے ملک میں لالیں نہیں پیا کر کے وہ زمین
کی سمیٹ نہیں کر سکیں گے۔ میں اپنے نینا ڈاکٹر رام
سبھاگ سنگھ سے اپیل کرتا ہوں کہ کہاں گئے مہمانانہ اپنا
بن کی آپ اولاد ہیں۔ کہاں گئے مشیو اجی۔ کہاں گئے وہ
اجیت جھنڈے۔ بڑی شان سے آپ کو پیا کیا تھا
آج آپ کے ہوتے ہوئے اس سوسائٹی کے بہت بڑے
نگ کو ہرزہ خیز کہہ کر۔ اچھوت کہہ کر ان کو پریشان کیا جائے
چاہتے ہیں

بائے نقش پات روہت رو ان کو سے تمننا میں
نہیں اٹھے کی طاقت نہت کیا کریں لا چاہیے ہیں
آج ان کو اس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے میرے
ان سبھا جوں نے ابھی بتایا کہ اس طرف نہ پلان منظور
کرتے ہیں دوسرے طاقت اسے چھین لیتے ہیں ایک

طرف ریڑھ دیش کرتے ہیں دوسری طرف ان کو بھرتی نہیں کرتے ہیں میرے ایک سوال کے جواب میں اٹھنے لے کہا کہ پہلے میں اس کا نمبر 106 پر سینٹ ہے دوسرے میں 3-2 پر سینٹ ہے تیسرے میں 3 پر سینٹ ہے اس کے معنی کیا ہیں آپ ان کو دوسرے پر سینٹ بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو اتنا حق بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہیں تو تیار ہو جائیں یہاں پر خون کی ندیاں بہیں گی وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے بھوکے مرنے والے داغ اینٹ ڈار ٹرکے لوگ، پولیس کے لوگ ہمارے گھروں میں صفائی کرتے، اگلے لوگ اٹھیں گے ان کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور

عبدالغنی کی گردن ہوگی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد ملک کے ان ریڈیو ویژن آئیگیا اور اس ریڈیو ویژن کو ملک کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ کب تک وہ اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے ایک وقت آئے گا جب وہ ٹیل کریم کے ہمارے ننھے ننھے بچے بغیر دہائی کے تڑپ تڑپ کر مر جائے ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ نجان کی وجہ سے کھوپڑی کا شکار ہونے کی وجہ سے اور جیسا رن جیسر سگھرنے بنا یا دیگر ہاتھوں کے جو تڑپتے ہیں انکی کیا حالت ہے ان چیزوں کو یہ اب برداشت نہیں کریں گے۔ اس پر کہا کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی وقت سو فیصد ہی تڑپتے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن آج وہ ان سے کیوں ہٹ رہے ہیں۔ بالیو جاگجوں رام کب تک وہ ہمالیہ میں کرکھڑے رہیں گے کیونکہ جب ریڈیو تڑپ پائی کا بہاؤ آئیگا تو وہ اس ہمالیہ۔ اس پہاڑی کو۔ اس چٹان کی کبھی بہا کر لے جائے گا اور بالیو جی

کی کوئی بھی نہیں سنے گا اب وہ زیادہ پاگل بننے کے لئے تیار نہیں ہیں زیادہ ہسکا دے میں آئے کو تیار نہیں ہیں اسی لئے میں کہا کرتا ہوں۔
تمناؤں میں اٹھایا گیا ہوں

کھلونے دے کے بہلا یا گیا ہوں۔
ہر چین اب آپ کی ان باتوں میں نہیں آئیں گے شیونا رائے جی یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بغاوت کا جھنڈا بلند کرنا۔ کھلم کھلا بلند کرنا۔ پھانسی پر چڑھ جاؤ جان آت آت آرک کارڈ پلے کرنا۔ اب ہر چین بھائی مرید کہیں کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں ہم کو کون روکنے والا ہے۔

سچا بچی مہرو سے۔ مسلمانوں نے ایک غلطی کی تھی باوجود اس کے کہ لڑنے فیصلہ ہی ہن روؤں کی اولاد میں پہلے وہ راجپوت تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد راجپوت نہیں رہے۔ عبدالمغنی ڈار ایک براہمن کی اولاد تھا لیکن عبد الغنی ڈار بننے کے بعد براہمن نہیں رہا یہ بات ان کے دماغوں میں کیسے آئی ہے ان کو کھو کر لگی۔ انھوں نے دھوکا کھایا لیکن آج کے سرکھن نے تو ملک کے ساتھ سوائے روٹا داری کے کچھ نہیں کیا اس لئے کبھی بھی ملک کے کسی بھی مفاد کے ساتھ بے وفائی نہیں کی پھر اس کے ساتھ ایسا بڑا مذاکریوں بہ آج منوجھگوان کا نام کیوں بیٹے ہیں وہ تو پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے آج منوجھگوان نہیں آج تیرا نارا منوجھگوان میں۔ اناردا منوجھگوان کے ہوتے سپرے مان کے ساتھ بے انصافی ہے۔ کشنری ریڈیو پکار رہا ہے کہ کبھی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انیسے ہر ماہ ہوتے ہیں پوچھتا ہوں مہا بھارت کی لڑائی کو کبھی وہاں بھی نیا ہے اور انیسے کا جھگڑا تھا سنہ اور سنہ کا جھگڑا تھا۔